राजस्थान विधान सभा

५०वीं बैठक, बुधवार, दिनांक-१६ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या ९८२

जिला जेल टोंक में नजरबन्द भू-स्वामी एवं जेल में नजरबन्द की हालत में तलाशियें

श्री तनसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जेल टोंक में नजरबन्द भूस्वामी कितने हैं ?

(ख) जेल में नजरबन्द की हालत में उनकी राजस्थान कन्डिशन्स ऑफ डिटेन्शन आर्डर, १९५१ के अन्तर्गत कितनी बार तलाशी ली गई ?

(ग) क्या यह सही है कि तारीख ७-२-५६ को ली गई तलाशी के समय हैड वार्डस के अतिरिक्त वार्डर नं० ७२५, ७८१ व ६८४ तथा एक कन्विक्ट वार्डर भी मौजूद थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जिला जेल टोंक में पहले ३ नजरबन्द बन्दी थे किन्तु अब एक भी नहीं है।

(ख) एक बन्दी को ६ बार, दूसरे को ५ बार तथा तीसरे को एक बार तलाशी ली गई ।

(ग) जी नहीं, यह असत्य है ।

श्री तनसिंह—क्या ऐसा नियम है कि हफ्ते में एक बार तलाशी ली जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो तो देख लीजिये आप ।

श्री तनसिंह—यदि है तो क्या यहां के अलावा और जगह के बन्दियों की भी तलाशियां ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—अगर आप अलग से सवाल पूछेंगे तो जानकारी करके बता दूंगा।

प्रश्न संख्या १८३

ग्राम पीपल्या (त० नैनवा) में अलग पंचायत होने के आदेश एवं उसका पालन न होने सम्बन्धी

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पीपल्या, तहसील नैनवा, जिला बूंदी अभी किस पंचायत सर्किल में है ?

(ख) क्या कभी इसमें अलग पंचायत कायम होने का आदेश हुआ था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस आदेश का पालन आज दिन तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—इस प्रश्न का उत्तर ता० १४ मार्च, १९५६ को प्रश्न संख्या ६१ के सिलसिले में दिया जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है :

(क) तलवास पंचायत में।

(ख) जी हां।

(ग) ता० ६ मार्च, ५५ को बूंदी जिले के पंच व सरपंचों का सम्मेलन हुआ था। उसमें छोटी छोटी पंचायतें बनाने का, आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, विरोध किया गया था। मौजूदा पंचायतें ६ वर्ष से सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। जिस समय पटवार सर्किल बन जावेंगे, इस मामले में फिर विचार कर लिया जावेगा।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह समझा जावे कि पहले जो आदेश हुए वे बिना सोचे समझे हुए थे ?

श्री खेतसिंह—पहले आदेश हुआ उसमें भी यही कहा गया था कि यदि इस पंचायत को बनाते हैं तो जन संख्या कम हो जाती है। इसकी वजह से चपरासी वगैरह की तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, इसलिये वैसे ही रहना चाहिये।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान राजपत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि यह अलग पंचायत रहेगी ?

श्री खेतसिंह—यह सत्य है। सरकार ने आदेश दिये मगर बाद में बूंदी में पंचों का सम्मेलन हुआ और सारे पंचों ने यह राय प्रकट की कि छोटी छोटी पंचायतें कायम नहीं रहनी चाहिये।

श्री भैरूसिंह—क्या सरकार इस पर फिर से विचार करेगी ?

श्री खेतसिंह—फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरूसिंह—क्या पंचों की राय से काम होता है ?

श्री नारायण चतुर्वेदी—अब तक कितने सम्मेलन हुए ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है। इसको अलग से पूछें तो जवाब दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८४

बूंदी अस्पताल की खराब एक्सरे मशीन को ठीक कराने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

महाराजा श्री केसरीसिंह—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) बूंदी के होस्पिटल की एक्सरे मशीन कौनसी तारीख से खराब पड़ी है और क्या स्थानीय डी. एम. ओ. ने इसके मुत्तलिक पी. एम. ओ., कोटा को सूचना दी थी ? यदि हां, तो कौन सी तारीख को और पी. एम. ओ., कोटा ने अब तक उस पर क्या एक्शन लिया ?

(ब) मशीन के खराब होने के बाद एक्सरे के कितने केसेज़ आये और इनके लिये क्या किया गया ?

(स) क्या सरकार जल्दी ही एक्सरे मशीन चालू करने का विचार रखती है ?

(द) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री खेतसिंह—(अ) एक्सरे मशीन ९-२-५६ से २७-२-५६ तक खराब रही। इसकी सूचना पी. एम. एन्ड एच. ओ., कोटा को १०-२-५६ को मिल गई। उन्होने मेसर्स मल्लधम् ब्रदर्स, बाम्बे को

Page No 4

[श्री खेतसिंह]

इसकी दुरुस्ती के लिए अपना इन्जीनीयर भिजवाने के लिए लिख दिया। इन्जीनीयर ने बून्दी पहुंच कर दिनांक २८-२-५६ को मशीन ठीक कर दी थी।

(ब) ६ केसेज़ आये। इनका उचित उपचार कर दिया गया।

(स) और (द) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९८५

राजस्थान नहर से राजस्थान को मिलने वाला क्युसिक जल एवं उससे विभिन्न ग्रामों में भूमि सिंचाई

श्री हंसराज आर्य—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान कैनाल से कुल कितने क्युसिक पानी राजस्थान को मिलेगा और अन्य राज्यों का कितना २ पानी होगा ?

(ख) पंजाब की सीमा में यह नहर कितने मील चल कर राजस्थान सीमा में प्रवेश करेगी और नहर के निकास से लेकर टेल तक कुल कितनी लम्बाई मीलों में होगी ?

(ग) इस नहर में राजस्थान के तहसीलवार कुल कितने गांवों को पानी मिलेगा और कुल कितने एकड़ रकबे की सिंचाई होगी ?

(घ) इस नहर की खुदाई का काम कब तक चालू हो जावेगा और इसके निमित्त इस साल कितना बजट मंजूर हुआ है ?

(ङ) इस नहर का हैड आफिस कहां रहेगा और सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर की देखरेख में कहां कार्य होगा ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)— (क) फिलहाल राजस्थान कैनाल करीब १६००० क्यूसेक्स पानी चलने के लिये पर्याप्त बनेगी। राजस्थान नहर द्वारा अन्य राज्यों को कोई पानी नहीं मिलेगा।

[श्री खेतसिंह]

(ख) पंजाब में लगभग ११० मील और राजस्थान सीमा में लगभग ३१५ मील लम्बी बनेगी।

(ग) इस क्षेत्र की पूर्ण रूप से अभी सर्वे नहीं होने पाई है अतः विभिन्न तहसीलों के सिंचाई योग्य गांवों के नाम और क्षेत्रों की सूची देना अभी संभव नहीं है।

(घ) यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। मंजूरी प्राप्त होने पर नहर की खुदाई का कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इस नहर की सर्वे के हेतु ११,३५,००० रुपया की रकम रक्खी गई है।

(ङ) भारत सरकार से मन्जूरी प्राप्त होने पर तुरन्त इस विषय पर निर्णय कर लिया जावेगा।

श्री हंसराज—क्या ऐसा भी है कि जो लेबर वहां करेगा उसको जमीन मिलेगी?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है। अगर आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९८६

धौलपुर-बाड़ी सड़क पर स्थित निबी तालाब की घाटी को नीची करने के लिए स्वीकृति

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या धौलपुर-बाड़ी सड़क पर स्थित निबी तालाब की घाटी को नीची करने के लिये स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो अब तक नीची न करने का क्या कारण है?

श्री शाह अलीमुद्दीन—हां, मंजूरी हो चुकी है और इसके लिए टेण्डर मांग लिये गये हैं।

श्री हंसराज जटिया—क्या यह सही है कि एक मर्तबा पहले भी इसके लिये टेण्डर मांगे जा चुके हैं?

Page No 6

श्री शाह अलीमुद्दीन—पहले मांगे गये या नहीं, उसको मैं नहीं कह सकता। अब टेन्डर मांगे गये हैं और स्लोप बन जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८७

गढी बिलारा, मालपुरा, सिवाना, टोडाभीम, कासौली को प्रोग्रेस रिपोर्ट एवं इसे सी० डी० ब्लॉक बनाना

श्री हंसराज जटिया—क्या सामुदायिक योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि बसेडी एन० ई० एस० ब्लॉक की प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है ?

(२) क्या यह भी सच है कि गडी बिलारा, मालपुरा, सिवाना, टोड़ाभीम, कासौली की प्रोग्रेस रिपोर्ट सन्तोषप्रद नहीं है ? यदि हां, तो फिर इसे सी० डी० ब्लॉक क्यों बना दिया गया है और बसेड़ी को क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) नहीं।

(२) नहीं।

(३) नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८८

पी० एस० आई० अधिक क्वालिफाइड होने पर भी एस० आई० के बराबर ही वेतन

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या एस० आई० और पी० एस० आई० का एक ही वेतन है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि एस० आई० की निर्धारित क्वालीफिकेशन मेट्रिक है और पी० एस० आई० के लिए क्वालीफिकेशन बी० ए०, एल० एल० बी० है और क्या इस अन्तर को देखते हुए सरकार पी० एस० आई० के वेतन बढ़ायेगी ?

[श्री प्रभुदयाल]

(३) यदि नही, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह भी सही है कि दूसरे प्रान्तों में इनकी तनख्वाह में ४० रु० का अन्तर है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) दोनों का वेतन एक सा है। पी० एस० आई० को २० रुपये प्रति माह एलाउन्स मिलता है।

(२) इन दोनों पदों को समान करने के लिए मामला सरकार के विचाराधीन है।

(३) उपरोक्त उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता।

[४] यह सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री प्रभुदयाल—जब उनकी क्वालीफिकेशन में इतना फर्क है तो वेतन में फर्क क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने कहा कि २० रुपये माहवार एलाउन्स के ज्यादा दिये जाते हैं।

श्री प्रभुदयाल—यह तो एलाउन्स है। जब क्वालीफिकेशन में फर्क है तो वेतन में भी फर्क होना चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री प्रभुदयाल—कब तक विचार हो जाएगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—अवधि निश्चित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८६

जैसलमेर जिला जल बोर्ड के मन्त्री का नाम, संस्था एवं निवास-स्थान

श्री हनुवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री हनुवन्तसिंह]

जैसलमेर जिला जल बोर्ड के मन्त्री का क्या नाम है और वह किस संस्था के हैं ? उनका निवास-स्थान कहां है ?

श्री **खेतसिंह** (उपमन्त्री)—श्री लीलाधर व्यास। ये कांग्रेस संस्था के हैं और उनका निवास स्थान पोकरण कस्बा है।

श्री **हनुवन्तसिंह**—क्या इस संस्था में कांग्रेसी रखना जरूरी है ?

श्री **खेतसिंह**—यह कोई आवश्यक नहीं है। जो कोई भी सार्वजनिक हित का कार्य करता है, चुना जा सकता है। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। जल बोर्ड की ही व्यवस्था है और वही उसको मुकर्रर करता है।

श्री **हनुवन्तसिंह**—क्या कोई ऐसे स्थान भी हैं जहां बगैर कांग्रेस सदस्य मन्त्री हैं ?

श्री **खेतसिंह**—यह तो आप अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या सरकार जल-बोर्ड में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को ही मान्यता देना उचित समझती है ?

श्री **खेतसिंह**—उचित और अनुचित का प्रश्न यहां नहीं है। जिला बोर्ड जिसको अच्छा सार्वजनिक कार्यकर्त्ता समझे उसको मुकर्रर करती है। कई जगह गैर कांग्रेसी भी होंगे।

श्री **भैरूंसिंह**—इस संस्था में सारे कांग्रेसी सदस्य ही हैं तो क्या सरकार यह उचित समझती है कि एक राजनैतिक संस्था के मारफत सारा खर्चा कराया जाय और जो खर्चा होता है वह उचित ही होता है ?

श्री **खेतसिंह**—अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए उचित ही है।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास आई है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को ही प्रोत्साहन मिल रहा है ?

श्री **खेतसिंह**—ऐसी कोई शिकायत लिखित में नहीं आई।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या यह सही है कि जोधपुर के मन्त्री के खिलाफ शिकायत आई थी और उसको हटाया गया ?

श्री खेतसिंह—यह कतई गलत है। मैं खुद जोधपुर का हूं और अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री भैरूंसिंह—क्या नागौर जिला के मन्त्री को हटाया गया था ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है। आप अलग प्रश्न पूछें तो बताया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६०

जिला जैसलमेर की ग्राम पंचायतें एवं उनके चुनाव कराने वाले अधिकारी तथा उनकी योग्यताएं

श्री हनुवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं और उनका चुनाव किस अधिकारी के निरीक्षण में किस-किस दिनांक को कराया गया व अधिकारी का नाम, डिपार्टमेंट व ओहदा क्या है ?

(ख) सरकार ने चुनाव कराने वाले अफसरों की क्या योग्यता निश्चित कर रखी है ?

श्री खेतसिंह—(क) कुल ७६ ग्राम पंचायतें हैं। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(ख) राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३, अथवा राजस्थान सामान्य नियम १९५४ में इस विषय में कोई व्याख्या नहीं है बल्कि मुख्य पंचायत अधिकारी अथवा कलेक्टर जिसको भी इस कार्य के सम्पादन करने के योग्य समझे, निर्वाचनाधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हनुवन्तसिंह—कोई भी अधिकारी भेज सकते हैं, क्या शिप एन्ड पूल के इन्चार्ज को भी भेज सकते हैं पंचायत के चुनाव के लिए ?

श्री खेतसिंह—अगर कलेक्टर उपयुक्त समझे तो उनको भी भेज सकता है।

श्री हनुवन्तसिंह—कलेक्टर्स को क्या-क्या पावर्स हैं ?

श्री खेतसिंह—कलेक्टर को यह पावर दिये गये हैं कि जिस किसी व्यक्ति को उपयुक्त समझे वह भेज सकता है।

श्री हनुवन्तसिंह—क्या चपरासी को भी भेज सकता है ?

श्री खेतसिंह—चपरासी को नहीं भेज सकता।

श्री भैरोंसिंह—क्या चपरासी को भेजने के लिए पाबन्दी है ?

श्री खेतसिंह—पाबन्दी तो नहीं किन्तु चपरासी इतना योग्य नहीं हो सकता कि वह इस काम को कर सके। अगर इतना योग्य होता तो चपरासी ही क्यों बनता ?

श्री भैरोंसिंह—आजकल तो मैट्रिक्युलेट चपरासी की भरती होती है, क्या उनको भी नहीं भेजा जा सकता ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी—Is this not an aspersion on a chaprasi.

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार यह ठीक समझती है कि रिटर्निंग ऑफीसर की क्वालीफिकेशन रूल्स में प्रेसक्राइब होनी चाहिये ?

श्री खेतसिंह—अब तक तो ऐसा सवाल आया नहीं, कलेक्टर्स को पॉवर है कि वह योग्य अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्य के लिए भेज सकता है इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था रूल्स में करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

श्री हनुवन्तसिंह—इस 'रूल्स' में योग्य शब्द की क्या परिभाषा है ?

श्री खेतसिंह—यह कलेक्टर पर मुनस्सर है।

श्री भैरोंसिंह—अगर कोई कलेक्टर चपरासी को योग्य समझे तो क्या कलेक्टर को अधिकार है कि वह उसको रिटर्निंग आफिसर बना दे ?

श्री खेतसिंह—यह सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६६१

धौलपुर सब डिवीजन में पार्वती बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निवासियों को बसाने एवं मुआवजा देने की योजना

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[हंसराज जटिया]

धौलपुर सब डिवीजन में पार्वती बांध के अन्तर्गत जो ग्राम डूब में आवेंगे वहां की जनता को बसाए जाने व मुआवजा देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना सोची है ?

श्री खेतसिंह—पार्वती बांध की डूब में जो मकान व कुएं आए हैं उनके मुआवजे के लिये दो लाख रुपये की स्वीकृति हो गई है । ग्रामीण जनता को उसका मुआवजा दिया जाना आरम्भ कर दिया गया है । आशा है कि यह कार्य इस मास के अन्त तक समाप्त हो जावेगा ।

भूमि के मुआवजे तथा जनता को बसाए जाने के विषय में राजस्व अधिकारी उचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री भैरूंसिंह—इन लोगों को नुकसान कितने लाख रुपये का होगा ?

श्री खेतसिंह—यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—तो यह दो लाख किस हिसाब से तय किये गये हैं ?

श्री खेतसिंह—इसलिये कि दो लाख रुपया देना है । बजट में दो लाख रुपये का प्रोवीजन रखा गया है दो लाख रुपया दिया जा रहा है, यदि ज्यादा की जरूरत हुई तो और सेंक्शन कर दी जायगी ।

श्री भैरोंसिंह—यह बजट में भी तो किसी आधार पर रखा होगा ?

श्री खेतसिंह—अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । इस विषय में अवश्य जानकारी आयी होगी उसी पर दो लाख रुपया मुकर्रर किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह—नुकसान कितना किन व्यक्तियों को होगा, इसकी सूची भी गवर्नमेन्ट ने क्या तैयार करवा ली है ?

श्री खेतसिंह—जिन जिन को मुआवजा दिया जा रहा है उनको सूची तैयार की जा रही है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—कितने गांव इस बांध के नीचे डूब में आने वाले हैं ?

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सूची डूब में आने के बाद तैयार होगी ?

श्री खेतसिंह—ऐसी बात नहीं ।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार के समक्ष जितनी भूमि और जिन लोगों की भूमि डूब में आने वाली है उनको अभी तक अपना कम्पेन्सेशन का क्लेम सबमिट करने का मौका नहीं दिया गया है ।

श्री खेतसिंह—यह बात मेरी जानकारी में नहीं है, किन्तु इतना मैं कह सकता हूँ कि उनको कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह—उनको क्लेम्स लेने का अवसर दिया गया या नहीं ?

श्री खेतसिंह—मेरा खयाल है अवसर तो दिया जाता है और दिया जाता होगा ।

श्री भैरोंसिंह—डेफीनिट बताइये, मौका दिया गया या नहीं ?

श्री खेतसिंह—अभी मेरे पास इस सम्बन्धी जानकारी नहीं है कि दिया गया या नहीं ।

श्री हंसराज—कौन से स्थान पर उनको बसाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री खेतसिंह—स्थान की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री हंसराज जटिया—बसाया तो कहीं न कहीं जायगा, तो आपको बताने से क्या एतराज है ?

श्री खेतसिंह—यह तो आपने अपने प्रश्न में पूछा नहीं था, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि किस स्थान पर इनको बसाया जायगा ?

श्री हंसराज जटिया—सप्लीमेंटरी में तो यह आ सकता है ।

श्री प्रभुदयाल—यह तो इस प्रश्न में है, उनको बसाये जाने की क्या सोच रही है इसमें यह प्रश्न आ जाता है ।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न को कल फिर ले लिया जाय, मैं पूरी जानकारी माननीय सदस्यों को दूंगा ।

प्रश्न संख्या ६६२

खोली (जिला सवाई माधोपुर) हाईस्कूल की इमारती पट्टियों के चोरी जाने संबन्धी कार्यवाही

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

Page No 13

[श्री वीरेन्द्रसिंह]

(क) सवाई माधोपुर सब डिविजन के बोंली हाई स्कूल की कितनी इमारती पट्टीयां चोरी जाते हुए किन व्यक्तियों ने किस समय पकड़ीं ?

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) कोई पट्टी नहीं पकड़ी गई।

(ख) ६ पट्टियां देवी साहाय के मकान से बरामद की गई।

श्री वीरेन्द्रसिंह—यह जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां के अधिकारी कर रहे हैं, नाम तो मैं नहीं जानता।

श्री श्रीदास गोयल—यह एफ. आई. आर कब चैक की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां तक मेरा खयाल है १७ मार्च, १९५६ को की गई।

श्री श्रीदास गोयल—देवी सहाय के यहां से पट्टियां किस तरीख को बरामद हुईं ?

श्री रामकिशोर व्यास—तारीख बरामदगी तो मालूम नहीं, यह आप अलग से सवाल पूछिये।

श्री श्रीदासगोयल—देवी सहाय के यहां से पट्टियां बरामद होने के बाद गिरफतारी हुई। नहीं ?

श्री राम कशोर व्यास—गिरफतारी शायद नहीं हुई।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि यह तफतीश जो सब इन्सपेक्टर बोंली कर रहे हैं उचित ढंग से नहीं हो रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह ठीक है कि इसकी तफतीश सब इन्सपेक्टर बोंली कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या यह सही है कि पट्टियां ले जाने वाले के साथ सब-इन्सपेक्टर भी मिल गया था ?

Page No 14

श्री रामकिशोर व्यास--यह सही नहीं है।

श्री श्रीदासगोयल--क्या माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान फरमायेंगे कि सब इन्सपेक्टर इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, अतः यह जांच कार्य पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जैसे अधिकारी को सौंपा जाय?

श्री रामकिशोर व्यास--आप बेजाब्तगी साबित कर दें तो।

श्री वीरेन्द्र सिंह--अभी तक गिरफतार न करने के क्या कारण हैं?

श्री रामकिशोर व्यास--डिटेल्ड इनवेस्टीगेशन जारी हैं।

श्री श्रीदासगोयल--जब कि पट्टियां को चुराना नोन बेलेबल ओफन्स हैं तो उसके बावजूद सब-इन्सपेक्टर कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रहा है? इसलिये क्या सरकार किसी दूसरे अधिकारी को इसके लिये नियुक्त करेगी?

श्री रामकिशोर व्यास--अभी तो इन्वेस्टीगेशन जारी है, कैसे कहा जा सकता है कि सब इन्सपेक्टर इसमें रूचि नहीं ले रहा है?

श्री वीरेन्द्रसिंह--यह जांच कब तक पूरी हो जायगी?

श्री रामकिशोर व्यास--इस बारे में निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

श्री श्रीदास गोयल--क्या यह सही है कि इन ६ पट्टियों के चोरी चले जाने की वजह से वहां के हाई स्कूल का काम अधूरा पड़ा है?

श्री रामकिशोर व्यास--६ पट्टियों की वजह से?

श्री श्रीदास गोयल--जब तक मुकदमा जेर तफतीश है तब तक छत पर पट्टियां नहीं चढ़ाई जा सकतीं, क्या इस जांच को जल्दी खत्म करवायेंगें?

श्री रामकिशोर व्यास--जल्दी तफतीश को खत्म करवाने का प्रयत्न किया जायगा।

प्रश्न संख्या ६६३

सूरतगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव शीघ्र करने संबन्धी शासकीय कदम

श्री मनफूल सिंह--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(अ) सूरतगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव हुए कितने वर्ष होगये हैं?

[श्री मनफूलसिंह]

(ब) क्या कारण है कि तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी यह म्युनिसिपल बोर्ड काम कर रहा है ?

(स) क्या उपरोक्त म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव शीघ्र ही कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कबतक ?

श्री खेतसिंह—(अ) करीब तीन वर्ष, तीन महीने।

(ब) निर्वाचन सम्पूर्ण न होने के कारण इस बोर्ड की अवधि बढ़ाई गई।

(स) जी हां, जहां तक हो सका अगस्त, १६५६ के अन्तिम सप्ताह तक।

श्री धर्मपाल पंवार—कौनसी तारीख तक ?

श्री खेतसिंह—मैंने आपसे निवेदन किया, अगस्त के अन्तिम सप्ताह के पहले पहले।

श्री भैंरू सिंह—निर्वाचन सूचियां अवधि के भीतर भीतर पूरी क्यों नहीं की गई ?

श्री खेतसिंह—क्योंकि इस म्युनिसिपेलिटी की आबादी दस हजार से कम है, इसलिये सिंगल मेम्बर कोन्स्टीट्यूएन्सी बनाने के अन्दर समय लगा है और निर्वाचन सूचियां वापिस तैयार की गई, इसलिये समय लग गया।

श्री भैंरोंसिंह—यह निर्णय कब लिया गया कि सिंगल मेम्बर कोन्स्टीट्यूएन्सी के आधार पर निर्वाचनसूचि बनाई जाय ?

श्री खेतसिंह—इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या इस अवधि के अन्दर इस म्युनिसिपल बोर्ड को सूचना दे दी गई थी ?

श्री खेतसिंह—चूंकि मेरे पास तारीख नहीं है इसलिए मैं सूचना अवधि के अन्दर गई या नहीं यह नहीं कह सकता।

श्री भैंरोंसिंह—तो फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि निर्वाचन सूची तैयार नहीं हुई इस कारण इलेक्शन नहीं हो सका ?

श्री खेतसिंह—यह जांच करने के बाद जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि सूची तैयार नहीं थी।

Page No 16

श्री भैरोंसिंह—जिस अधिकारी ने यह जांच की थी क्या उस अधिकारी ने यह भी जांच की थी कि सूची तैयार क्यों नहीं थी ?

श्री खेतसिंह—मेरे पास इस संबन्धी जानकारी नहीं, उसने जांच इस बारे में की या नहीं।

श्री भैरोंसिंह—क्या अब चुनाव की तारीख निश्चित कर दी है ?

श्री खेतसिंह—जी हां, १४। ८। ५६ तक चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह—१४। ८। ५६, इतने समय बाद क्यों ?

श्री खेतसिंह—सारे कन्सोडरेशन के बाद यह डेट फिक्स की गई और इसकी इतला भी भेज दी गई है।

श्री भैरूंसिंह—१४। ८। ५६ ?

श्री खेतसिंह—जी हां।

श्री भैरूंसिंह—इतने समय बाद में क्यों ?

श्री खेतसिंह—क्यों कि सारा प्रोसेस कम्पलीट होने में इतना समय तो लगेगा ही और फिर अब डेट फिक्स कर दी गई है और इसकी इतला भी सब जगह भेज दी गई है।

प्रश्न संख्या ६९४

श्री अध्यक्ष—श्री महादेवप्रसाद बंका।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६९५

श्री मानसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६३

राजस्थान की ग्राम व तहसील पंचायतें एवं उन्हें ऋण अथवा आर्थिक सहायता

श्री हंसराज आर्य—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में कुल कितनी ग्राम व तहसील पंचायतें हैं ?

(ख) कितनी ग्राम पंचायतों और कितनी तहसील पंचायतों को सरकार ने कितना कितना रुपया कर्ज या सहायता के रूप में दिया है ?

(ग) क्या सरकार राजस्थान में डिविज़न वार तहसील पंचायतों के सरपंचों की यूनियन बनाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या बिकानेर डिविज़न की तहसील पंचायतों के सरपचों को यूनियन बनकर वास्ते स्वीकृति सरकार के पास कागज आये हैं ? यदि हां, तो उसकी अब तक स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है ?

(ङ) क्या सरकार पंचायत विभाग को तोडकर डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ के मातहत करने का सोच रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(च) राजस्थान में कितनी ऐसी पंचायतें हैं कि जहां के पुराने पंचों ने अब तक नये चुने गये पंचों को रोकड़ पोते बाकी का व और चार्ज नहीं दिया है ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(क) राजस्थान में कुल ३२७५ ग्राम पंचायतें और २११ तहसील पंचायतें हैं।

(ख) १, ०५, ०००) कुल। पांच सौ रुपया प्रति तहसील पंचायत के हिसाब से सहायता के रूप में दिया गया। ६८३ पंचायतों को ६०) से ५८६८०) सहायता के रूप में दिया गया।

(ग) सरकार की इस विषय में अभी कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है।

(घ) विचाराधीन है।

(ङ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विचाराधीन है।

(च) उत्तर इस प्रकार है:—

[श्री खेतसिंह]

नाम पंचायत	तहसील
बनाथला	दांता रामगढ़
रानीखुर्द	बाली
बुधरवाली	गंगानगर
दलियावाली	"
मलसीसर	भादरा
२० जी. बी.	गंगानगर
गणेशगढ़	"
माजूवास	पदमपुर
हणुतपुरा	पदमपुर
घमंडिया	सूरतगढ़
कानोड	बल्लभनगर
खमनोर	नाथद्वारा

श्री हंसराज जटिया—क्या तहसील भादरा के मदारीसर ग्राम के पुराने सरपंच ने अभी तक १६७ रुपया तेरह आने का हिसाब नहीं दिया है ?

श्री खेतसिंह—जी हां, मैंने जवाब में कहा है कि उन्होंने नहीं दिया।

श्री हंसराज जटिया—इसका क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—नहीं दिया, इसके लिये कार्यवाही जारी है।

श्री भैंरूंसिंह—जिन जिन पंचायतों को सहायता दी गई है वह सहायता सरकार ने अपनी ओर से दी है या पंचायतों की ऐसी दरख्वास्त आने पर दी है ?

श्री खेतसिंह—कई स्थानों पर से दरख्वास्तें आई हैं और कई स्थानों पर अपनी ओर से दी है।

श्री भैंरूंसिंह—इस सहायता देने का किन बातों को आधार मान रखा है ? किस को साठ रुपया और किसको सौ रुपया सहायता दी जाती है ?

Page No 19

श्री खेतसिंह—तहसील पंचायतों को हर जगह पांच सौ की और ग्राम पंचायत को ६० रुपये की दी जाती है ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतों को सौ रुपये की सहायता भी दी गई है ?

श्री खेतसिंह—इस वर्ष में नहीं दी गई, पहले वर्ष में दी गई थी।

श्री भैरूसिंह—यह जब से पंचायतें नियत हुई तब से ही प्रश्न है।

श्री खेतसिंह—जी हां, पहले दी गई थी यह सहायता ।

श्री भैरूसिंह—यह सौ का और साठ का अन्तर क्यों रखा गया ?

श्री खेतसिंह—क्योंकि पंचायत विभाग के पास इतनी धन राशि नहीं थी कि हरेक को सा सौ दिया जावे ।

श्री भैरूसिंह—जिन जिन को जिन जिन दिनों में सौ सौ दिया गया उन्हीं दिनों में कइयों को साठ साठ रुपये भी दिये गये, क्या यह सही नहीं है ?

श्री खेतसिंह—ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री हंसराज जटिया—क्या बीकानेर में बरसीसर ग्राम का भी कुछ रुपया बाकी है ?

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूसिंह—यह रुपया सरपंच को सीधा ही दिया गया या इन्सपेक्टरों को मारफत दिया गया ?

श्री खेतसिंह—इन्सपेक्टर की मारफत यह रुपया वितरित किया गया ।

श्री भैरूसिंह—जिन पंचायतों में पहले की रकम बाकी पड़ी है जो कि वहां के नये पंचायत को चार्ज में नहीं दी गई उसको दिलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री खेतसिंह—जो पंचायत कानून के मातहत कार्यवाही की जा सकती है वही की जा रही है।

श्री भैरूसिंह—क्या पंचायत कानून के मातहत इस प्रकार की रकम कहीं से वसूल हुई है ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से प्रश्न है ?

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि जिन पंचायतों में इस प्रकार की रकम बाकी है वहां लोग दुबारा सरपंच बनकर वह रुपया न देने की कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह—आप यदि कोई उदाहरण देंगे तो जानकारी कर ली जावेगी ।

श्री चुन्नीलाल बिरला—क्या यह सहायत की धन राशि सरकार पर्याप्त समझती है ?

श्री खेतसिंह—पर्याप्त ही है । कागजों वगैरह के लिये दी जाती है । बिलकुल पर्याप्त तो नहीं है पर काम इससे चल सकता है, इतनी है ।

श्री चुन्नीलाल बिरला—पर्याप्त ही नहीं है । इसमें कुछ भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६७.

वर्तमान पंचायत चुनाव की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ग्राम में दो दल होने के कारण गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाने सम्बन्धी

श्री रिद्धि चन्द पालीवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि मौजूदा पंचायत चुनाव की प्रणाली से प्रत्येक गांव में दो पार्टीज़ हो गई हैं जिससे उनमें हाइबैर हो गया है ?

(ख) क्या सरकार उक्त चुनाव प्रणाली को बदल कर गुप्त मतदान कराने की व्यवस्था करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री खेत सिंह—(क) और (ख) जनतन्त्र के युग में पार्टियों का बनना तो स्वाभाविक ही है । गुप्त चुनाव प्रणाली में खर्चा भी अधिक होने के साथ २ राजस्थान की ग्रामीण जनता अधिकतर अशिक्षित होने के कारण भी यह प्रणाली सफल नहीं हो सकती तथा भारत के किसी भी प्रान्त में यह प्रणाली चालू नहीं की गई है । शिमला कॉन्फ्रेन्स में भी वर्तमान प्रणाली को ही (हाथ उठाकर चुनाव किये जाने की प्रणाली को) उचित मानकर स्वीकार करते हुये कार्यान्वित किये जाने की सिफारिश की गई है । अतएव गुप्त चुनाव प्रणाली का अभी कार्यान्वित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

Page No 21

श्री श्रीदास गोयल—ये जो पार्टियां ग्रामों में बकौल माननीय मन्त्रीजी के हो जाती हैं, वे भविष्य में न हों इस ओर भी क्या सरकार की ओर से ध्यान दिया गया है ?

श्री खेतसिंह—इसके लिये पंचायत विभाग कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकता। यह तो वहां पर चुनाव होते हैं और उसमें जो पार्टियां भाग लेती हैं उन पर ही मुनस्सिर है।

श्री भैरूंसिंह—मध्यभारत ने अपने यहां गुप्त चुनाव प्रणाली को अपनाया है ?

श्री अध्यक्ष—वहां की असेम्बली में पूछा जावे।

श्री भैरूंसिंह—यह तो मैंने इसलिये कहा कि मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि ऐसा कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष—That information will not be authentic.

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस दृष्टि से कि दो पार्टियां होना ज्यादा अहितकर है बमुकाबिले गुप्त मतदान के, इसलिए इस पर दुबारा विचार करेगी और गुप्त मतदान को चालू करेगी ?

श्री खेतसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया कि यह निर्णय ऑल इण्डिया बेसिस पर किया गया है और शिमला कॉन्फ्रेन्स में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि गुप्त मतदान में हम ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और इसी को ठीक समझा गया है। इसलिए गुप्त मतदान का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि गुप्त मतदान नहीं होने से लोगों को डराया और धमकाया जाता है और डरा धमका कर वोट लिये गये हैं और लिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६८

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६६

झुन्झुनू जिले में विभिन्न तहसीलों में खोले गये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

श्री भैरूंसिंह—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भैरू सिंह]

(क) झुन्झुनू जिले में किस किस तहसील में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड (एन. ई. एस.) ब्लॉक्स खोले जा रहे है, उनकी प्रगति कहां कहां क्या क्या चल रही है ?

(ख) इनमें कितने कितने रुपये कहां कहां खर्च किये जाने की तजवीज है ?

(ग) झुन्झुनू जिले में डवलपमेंट के लिए खर्च करने के वास्ते सरकार द्वारा कितने रुपये स्वीकार किये गये ?

(घ) क्या यह सही है कि जिला विकास मण्डल झुन्झुनू ने इन ६० हजार रुपयों का उन तहसीलों में जहां पर एन० ई० एस० ब्लॉक्स नहीं हैं, खर्च करने का निर्णय किया था ?

(ङ) क्या जिला विकास मण्डल के निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर ने चिड़ावा, झुन्झुनू, उदयपुर और खेतड़ी में १५।१५ हजार रुपये विकास कार्यों के लिए विभक्त किये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (उप मुख्य मंत्री)—इसका उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हो सका है और चूंकि इसका दो विभागों से सम्बन्ध है प्लानिंग और डवलपमेंट से, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जावे ।

श्री भैरू सिंह—यह तो बता दीजिये कि किस किस जगह ब्लॉक्स खोले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपके प्रश्न के कई भाग हैं । तीन का कन्सर्न प्लानिंग विभाग से है और दो का डवलपमेंट से ।

श्री भैरू सिंह—दोनों विभाग हैं तो आपके आधीन ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी, मेरे आधीन नहीं हैं ।

श्री भैरू सिंह—तो माननीय अध्यक्ष, जवाब तो किसी भी मन्त्री को देना चाहिये, ये उप मुख्य मन्त्री हैं इनको देना चाहिये, जैसे श्री खेतसिंह जी ने पंचायत विभाग उनके आधीन न होते हुए भी उत्तर दिया और देने में तत्परता दिखाई । इसलिए वैसे सब विभाग इनके आधीन हैं उनको उत्तर देना ही चाहिये । हां, अगर उत्तर में कोई घोटाले की बात सामने आती है तो बात दूसरी है । उस घोटाले को छिपाने के कारण अगर टालमटोल करना चाहें तो बात दूसरी है ।

श्री रामकिशोर व्यास—घोटाला तो होगा जिसका होगा मेरे दिमाग में तो है नहीं । पर मैंने कहा कि आपका शार्ट नोटिस क्वेश्चन था जिसमें टाइम इतना कम था कि इसके अन्दर सभी सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती थीं । आपको दो जगह एड्रेस करना चाहिये था इस प्रश्न

Page No 23

[श्री रामकिशोर व्यास]

को। एक प्लानिंग को और दूसरा डवलपमेन्ट विभाग को। आपने दोनों ही एक जगह दे दिये। इस वजह से सूचना इतने कम समय में एकत्र नहीं की जा सकी। वैसे उत्तर नहीं देने जैसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप चाहें तो कल रख दें। आपसे कन्सर्न है इसका जवाब दे दीजियेगा ? कब ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक वीक।

श्री अध्यक्ष—एक वीक तो असेम्बली ही नहीं चल सकेगी, आपसे सम्बन्धित विभाग का कल मिल जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास—यह सम्भव नहीं हो सकेगा साहब, झुन्झुनू से इन्फोर्मेशन गेदर करनी है।

श्री अध्यक्ष—परसों तक ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने पूछा कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहां कहां हो रही है, ये सारी सूचनाएं तो यहां से तो नहीं प्राप्त की जा सकतीं।

श्री अध्यक्ष—परसों तक दे दें ?

श्री रामकिशोर व्यास— We will try for it, पर ए और बी हैं जो मेरे से सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष—हां, जो आपसे सम्बन्धित हैं उनका।

श्री बी. एन. जोशी, शार्ट नोटिस क्वेश्चन।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

राजस्थान के विभिन्न म्युनिसिपल टाउन्स में शासकीय भूमि पर बलात कब्जा इत्यादि

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—Will the Revenue minister please state:

[a] Has it come to the notice of the Government that cases of trespass on, and forcible & unauthorised occapation of Government lands in the various

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

municipal towns are taking place in considerable numbers in various parts of Rajasthan ?

(b) Is it a fact that the loss of state revenue caused by such forcible and unauthorised occupation is substantial ?

(c) Is the Government also aware that cases of such unauthorised and forcible occupations of Government Lands are taking place in large numbers in Bandikui town ?

(d) If so, what steps has the Government taken so far to prevent such cases in future

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(a) No, not in considrable number. Certain number of cases have been reported.

[b] The question does not arise in view of the answer to the question No. [a].

[c] Yes, complaints have been received for such unauthorised occupations by certain persons in Bandikui.

[d] Action has been taken against such persons.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Is it a fact that such complaints have been pouring and pouring for the last 3 or 4 years and no action has been taken so far ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Every action has been taken against those trespassers.

श्री जोशी—Will the Hon'ble Minister please specify what action has been taken ?

श्री दामोदरलाल व्यास—According to Revenue Standing Order No. 2 and 7 action has been taken.

श्री जोशी—What action, exactly, has been taken ?

श्री दामोदरलाल व्यास—For their ejectment and for the imposition of fines and penalty.

श्री जोशी—Has a single pie been imposed on them ? Can the Hon'ble minister give a single instance of this ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Till now no such case has been finally decided, but action has been taken, this is certain.

श्री जोशी—When the Hon'ble Minister is saying that action has been taken and I say that even a single pie has not been fined, I can give instances, then that action has been taken ?

श्री दामोदरलाल व्यास—When I say that action has been taken, it does not mean that any such case has been finally decided. The case has started and it is under enquiry.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Against how many persons the cases have been started .

श्री व्यास—Against so many persons.

श्री भैरू सिंह—क्या इन जमीनों को कुर्क कर लिया गया है ?

श्री व्यास—No.

श्री भैरू सिंह—कुर्क नहीं होने से जिन्होंने जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है यह सही है कि उन लोगों ने उन जमीनों पर मुस्तकिल चीजें बना ली हैं, ताकि उनको बेदखल न किया जा सके ?

श्री व्यास—जमीनों को कुर्क कराने का कायदा नहीं है। रेवेन्यू के स्टेंडिंग आर्डर नं० (२) और (७) के तहत के ट्रेसपासर्स को इजेक्ट किया जाता है और पेनाल्टी इम्पोज़ की जाती है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On what basis the Hon'ble minister is Stating that action has been taken and the cases have been started ?

श्री व्यास—On the basis of information received from the official sources.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—Is it a fact that at present there are 40 to 60 illegally constructed shops in Bandikui for the last 4 to 5 years and actions has not been taken against any one of them ?

श्री व्यास—I do not know the exact number, but this is certain that encroachment has been made by some persons and action has been taken against them.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Is it a fact that further encroachment has been made on the open Government land in Bandikui ?

श्री व्यास—I have no information about it.

श्री श्रीदास गोयल—क्या म्युनिसिपल टाउन्स में जो लैन्ड है उसको ट्रान्सफर करने के लिए और म्युनिसिपेलिटीज़ को दिये जाने के लिए सर्क्यूलर जारी किया जा चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इन मुश्किलातों से बचने के लिए ऐसे सारे केसेज़ म्युनिसिपेलिटीज़ को ट्रान्सफर कर देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुश्किलात कौन सी हैं मेरी समझ में नहीं आई।

श्री श्रीदास गोयल—ट्रेसपासर्स ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। वे बेदखल नहीं हो रहे हैं। रेवेन्यु स्टेन्गिड ऑर्डर सं० २ और ७ के तहत स्टेट उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है, इन सारी कम्प्लीकेशन्स को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनको तब्दील करने के लिए म्युनिसिपल टाउन्स को वे केसेज़ ट्रान्सफर करने के लिए डिसाइड कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रान्सफर किये जा सकते हैं तो ट्रान्सफर किये जायेंगे वरना रेवेन्यु डिपार्टमेंट में डिसाइड होंगे।

श्री श्रीदास गोयल—आपने फरमाया था कि, यह म्युनिसिपेलिटी में लैन्ड की रेवेन्यु ट्रान्सफर हो गई है, तो फिर।

श्री अध्यक्ष—It is far away from the main question.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of information, Sir,...

श्री अध्यक्ष—Order, please.

श्री महादेव प्रसाद बंका।

Page No 27

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६६४

राजस्थान की नगरपालिकाओं व पंचायत बोर्डों द्वारा बैलगाड़ियों, ऊंटों व गधों पर बोझ लादने की आज्ञा

श्री महादेव प्रसाद बंका--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थन की नगरपालिकाओं व पंचायत बोर्डों द्वारा बैलगाड़ियों व ऊंटों तथा गधों पर कितना कितना बोझा लादने की आज्ञा दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि लोग इन जानवरों पर उनकी ताकत से बाहर का बोझ लाद देते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि अन्धे, लूले, लंगड़े व ज्यादा बूढ़े जानवरों से भी बराबर काम लिया जाता है ?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, चूंकि इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आ सका है क्योंकि इसका तीन हजार के करीब पंचायतों और ३०० के करीब म्युनिसिपेलिटीज़ से ताल्लुक है और सब जगह से जानकारी हासिल की जा रही है जो आई नहीं है; इसलिए नहीं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—कितना टाइम लगेगा ?

श्री खेतसिंह—अभी आना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—१४ अप्रेल, १९५६, को नोटिस दिया गया था मोर देन ए मन्थ हो गया है।

श्री खेतसिंह—सारी पंचायतों से जानकारी प्राप्त करना है।

श्री अध्यक्ष—That is why double the time is given.

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न पूछना है। पंचायतों के बारे में माननीय मन्त्री जी को जानकारी होगी। इसका एक पार्ट में पूछ लेता हूं।

[श्री भैरूंसिंह]

क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि एक गधे पर इतना बोझ लादा जाय और एक ऊंट पर इतना बोझ लादा जाय ? गधे और ऊंट पर इतना ही बोझ लाद सकते हैं ।

श्री खेतसिंह—यह तो प्रश्न का जब जवाब दिया जायगा, उसी वक्त दिया जायगा ।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार के द्वारा अभी तक यह तय नहीं हुआ है और गधों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—आप बिल ले आइये ।

श्री धर्मपाल पंवार—ऐसा मालूम होता है कि प्रश्नकर्त्ता को गधों से बहुत मोहब्बत है ?

श्री अध्यक्ष—कब रखें । नेक्स्ट सेशन में तो यह लेप्स हो जायगा और फिर दो महीने चाहियेंगे और दो महीने सेशन ही नहीं चलेगा । १८ तारीख से पहले का दिया हुआ है और जवाब आने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिये ।

नेक्स्ट, श्री मानसिंह ।

प्रश्न संख्या ६९५

श्री गोपीलाल सरीन की आइस केन्डी फेक्ट्री पर बिजली का बकाया

श्री भैरोंसिंह (श्री मानसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री गोपीलाल सरीन ने धौलपुर में कोई आइस केन्डी की फेक्ट्री चलाई थी ?

(ख) यदि हां, तो उस पर बिजली का कितना बकाया है ?

(ग) सरकार इस बकाया की रकम को क्यों नहीं वसूल कर रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब अभी आया नहीं है इसलिए एक हफ्ते की मोहलत और दी जाय ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, यों काम नहीं चलेगा । काफी दिनों पहले से नोटिस दिया गया है और अभी तक जवाब नहीं आया है ।

श्री शाह अलीमुद्दीन—इसका क्या फायदा कि झूठा जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष—२८ अप्रैल, १९५६ को नोटिस दिया गया था।

श्री शाह् अलीमुद्दीन—जवाब प्राप्त नहीं हुआ है अभी।

श्री अध्यक्ष—It ought to have been had.

श्री भैरोंसिंह—यह मुमकिन है, माननीय अध्यक्ष, कि किसी भी प्रश्न को पोस्टपोन कराने के लिए सरकार ने इस प्रकार का रवैया बना लिया है। इस प्रकार से उत्तर प्राप्त करने में उन्होंने क्या कार्यवाही की है, रिमाइन्डर इशू किये गये हैं या नहीं या यों ही कह दिया गया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय। इन्फर्मेशन गेदर नहीं की जा सकी है। उसका एक्स्प्लेनेशन दिया जाना चाहिए कि इतनी कार्यवाही करने के बावजूद भी इनफरमेशन नहीं आ सकी है।

श्री अध्यक्ष—Nothing is necessary after the regrets have been expressed.

श्री भैंरूसिंह—यह तो इनकी आदत सी पड़ गई है क्वेश्चन्स को पोस्टपोन करने की। किसी भी सूरत में जवाब १८ तारीख से पहले आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—१८ तारीख को रख दें।

श्री शाहअलीमुद्दीन—१८ तारीख तक तो पोसिबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—१८ तारीख के बाद सेशन हो नहीं हो रहा है तो उत्तर देने या नहीं देने का सवाल ही नहीं आता है।

श्री शाह् अलीमुद्दीन—दूसरे सेशन में जवाब दे दिया जायगा।

श्री भैंरूसिंह—यह काफी घोटाले का मामला है और सरकारी काफी रकम का मामला है।

श्री अध्यक्ष—The Deputy Leader should find out some solution for the satisfaction of the members at least; for those questions which have been read.

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ क्वेश्चन्स तो नेचुरली ऐसे होते हैं....

श्री अध्यक्ष—This is very simpqu... on.

श्री रामकिशोर व्यास—उनकी इनफर्मेशन कलेक्ट करने में देरी हो जाती है और कुछ डिले भी होती है।

श्री भैंरूंसिंह—इस सेशन में आ जायेगा इसका जवाब ?

श्री रामकिशोर व्यास—ट्राई करेंगे।

श्री भैंरूंसिंह – ट्राई से नहीं। निश्चित् कहियेगा, होगा या नहीं। उनकी ट्राई तो फेल होगी यह निश्चित् बात है।

श्री अध्यक्ष हम एडवान्स कॉपी भेजते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन – एक्शन लिया जाता है; ताकीद भी की जाती है।

श्री अध्यक्ष – what is the result of the advance copies that are being sent ?

श्री रामकिशोर व्यास – डिस्ट्रिक्ट में डिले हो जाती है वहां से उत्तर आने में। यहां से तो हम भेज देते हैं समय पर। इन्फरमेशन बहुत अधिक रहती है वह नहीं आई है।

श्री भैंरोंसिंह – इसका कब रखा है ?

श्री अध्यक्ष – १८ तारीख रख दी गई है।

श्री त्रिवेणी श्याम।

प्रश्न संख्या ६६८

गीजगढ़ से सिकन्दरा के तिवारे तक की सड़क का निर्माण

श्री त्रिवेणीश्याम— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गीजगढ़ से सिकन्दरा के तिवारे तक की सड़क स्वीकृत होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं बनी है ?

(ख) अब इसका काम कब तक जारी हो जायेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन(उप मंत्री) – (क) काम करीब करीब पूरा हो चुका है।

(ख) इस साल पूरा हो जायगा।

श्री त्रिवेणीश्याम – काम तो पूरा हुआ नहीं है और आप पूरा बता रहे हैं।

(हंसी)

Page No 31

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह तो हमारी और आपकी दोनों की समझ में थोड़ी सी गलती हो रही है। यह जरूर है कि काम करीब करीब पूरा हो चुका है।

श्री त्रिवेणीश्याम—यह बता दिया जाय कि कितने मील की सड़क बन चुकी है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—तारीख हिस्ट्री यह है कि अर्थ वर्क की मंजूरी हुई थी, वह काम पूरा हो चुका। कुछ डिफेक्ट्स रह गये थे जो ठेकेदार से पूरे कराये जा रहे हैं। यह सेकिंड फाइव इयर प्लान में मेटल्ड रोड बनायी जायेगी।

श्री त्रिवेणीश्याम—वह काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—कम्प्लीट हो चुका है।

श्री त्रिवेणीश्याम—आप अर्थ वर्क के लिए बता रहे हैं किन्तु मेरा सड़क से मतलब है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—अर्थ वर्क की ही मंजूरी हुई थी। अब मेटल्ड रोड के प्रोपोज़ल हैं। हैं।

श्री त्रिवेणीश्याम—सड़क के लिए प्रोपोज़ल हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—सड़क कई किस्म की होती हैं। अर्थ वर्क होता है, मेटल्ड रोड होती हैं, टार रोड होती है। There are so many kinds of roads. The road has been started.

श्री त्रिवेणीश्याम—क्या कच्ची रोड को भी सड़क कहते हैं ?

श्री अलीमुद्दीन—कच्ची सड़क को सड़क कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon"ble Member is satisfied with the reply.

श्री त्रिवेणीश्याम – I am not satisfied, Sir.

श्री भैरू सिंह—कच्ची सडक बनी है चार साल में।

श्री अध्यक्ष – ऐसी सड़क बनी है जिसको आप और हम नहीं देख सकते हैं।

(हंसी)

Legislative business,

Shri Amrit Lal Yadav.

Page No 32

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of information, Sir, I have to enquire from the Hon'ble Minister for the second time tabled short-notice question in connection with Jobner College. It was tabled by me, Sir, and the reply was to be given to me to-day. Firstly, it was taken on the 11th. Sir, but it was postponed and the Hon'ble Minister had agreed to reply on the 16th. I conferred in this connection with the Assembly Secretary and the Assembly Secretary assured that this will be coming on the 16th., but it has not been taken today and without informing me unilateral action is taken. Why the question has not been included in the agenda ?

श्री अध्यक्ष—किसके मुतल्लिक है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जशी—Regarding Jobner College.

श्री अध्यक्ष—वह तो कई बार डिस्कस हो चुका है, अभी बाकी है क्या ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—The Chief Minister has agreed that the question has to be replied, but actually what is needed is to get information and so I tabled the short notice question a second time. It was definitely said that it would be replied on the 16th. and I was also assured by the Secretary Assembly that this will be included in the agenda, but Sir, it is again postponed. So, I think, the Hon'ble Minister owes an explanation to me or to the House.

श्री अध्यक्ष—Neither to you nor to the House.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—To the Chair or to somebody, Sir, at last he owes it.

श्री अध्यक्ष—Let the Chief Minister come tomorrow. It relates to him.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—My submission, is Sir......

श्री अध्यक्ष—The office will enquire from the Chief Minister.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—But my submission is, Sir, that ...

श्री अध्यक्ष—There are still two days.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Sir, it is not correct for the Assembly Secretariat. Once it has been agreed that this shortnotice question will be taken on the 16th.

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

why it has not been taken to day. I fail to understand why it has not been included in the agenda when it was definitely aid that it will be included in todays' agenda.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should not be so irritated. We will consult the Chief Minister when he comes tomorrow and will fix the time. The Assembly Secretariat cannot put the Minister concerned in inconvenience for short-notice questions. We have to keep time when the Hon'ble Ministers feel to reply.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I wish to say something else, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order please.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I may be permitted to say something, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order please'! The Hon'ble Member should keep quite. The Chief Minister will be consulted in this connection.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—But the Chief Minister has no concern with it Sir.

श्री अध्यक्ष—I am concerned with the Chief Minister.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— I am concerned with the question, Sir. I want to know as to when the question would be taken. It was twice tabled and when again it is postponed I am convienced that it is being circumvanted and deliberately delayed.

श्री अध्यक्ष—It is a charged on the Chief Minister.

श्री रामकिशोर व्यास—एजुकेशन मिनिस्टर भी वे ही हैं।

श्री अध्यक्ष—परसों रख दें।

श्री रामकिशोर व्यास—परसों हो सकता है मेरे खयाल से।

श्री दामोदरलाल व्यास—The question is so lengthy, Sir, that it was not possible to collect the information in time. You would kindly see that the question covers two typed pages and therefore, it was not possible to collect the information.

श्री अध्यक्ष—The Minister must have seen the implication before reply is given.

श्री दामोदरलाल व्यास—Much stress has been laid on this, Sir, but without going through the question if I reply, it would not be fair Sir, and the question is gone through you will find two typed pages and when it is so lenghty, it is but natural, Sir, that it will of course take sometime to collect the full information and place before the House.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—For the sake of convenience of the Hon'ble Minister from 11th. it was postponed to the 16th. and it was categorically said by the Secretary Assembly that reply would be received on the 16th. Now it is again postponed indefinitely. It is the responsibility of the Speaker of the House as the question has been admitted, second time. Now it is said that it is concerned with the Chief Minister. I am convienced that when it is not replied it is definitely being avoided. It is incumbent on the Chief Minister to have on the Treasury Benches. Ministers who are competant to furnish information sought through questions admitted in the house.

श्री भैरोंसिंह—इन्फोर्मेशन गेदर करने का सवाल नहीं है। कई दफा विधान सभा में आया है और सरकार के सामने सारी इन्फोर्मेशन है। जोधपुर से या उदयपुर से नहीं आयी वह दूसरी बात है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केटोगेरिकली सरकार के पास सारी इन्फोर्मेशन है, न देने की बात दूसरी है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—मुझे कोई बाधा की बात नहीं मालूम है। उसको सदन में रखने में कोई गुरेज हो। यह सदन में कई बार डिस्कस हो चुका है। आपका शॉर्ट नोटिस क्वश्चन था। आपकी कन्वीनियेन्स के लिए जवाब दिया जाना जल्दी नहीं हो सका अर्ज करने का फर्ज हो जाता है। दो दिन में हो सकता है तो वी विल ट्राई फोर दिस।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Even if it is replied on 18th. the last day of this session, I shall be satisfied, but it should not be circumvanted and intentionally postponed. Attempts are being made that...

श्री अध्यक्ष—Shri Amritlal Yadav.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा— निर्णय क्या हो चुका ?

श्री अध्यक्ष—निर्णय पहले ही दिया जा चुका है। १८ को रखा जावेगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Thank you very much, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास—फिर भी यह स्थिति नहीं आई that if the information is not readily available, let it not be said that the Government does not want to give the information. We will try to collect the information as far as possible and give it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—This is a very conditional statement. It is the fourth time that I am told that.

श्री अध्यक्ष—We are annoyed with the discussions.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, at least you had assured the House that within three days it will be replied. The Hon'ble Speaker should be in a position to enforce compliance of the directions given from the chair on the floor of the House.

श्री चन्दनमल वैद—साधारणत: एक प्रश्न का जवाब देने के लिये १५ दिन देते है, इस तरह के शोर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिये ११ दिन दे दिये गये हैं तो क्या अब भी जवाब देने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Amritlal Yadava.

राजस्थान शोरा (नियन्त्रण) विधेयक, १९५६ (पुर: स्थापित)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान शोरा (नियन्त्रण) विधेयक, १९५६ को पुर: स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of order, Sir, I humbly crave the favour of a reply from the chair that on the last date of the session at least the question would definitely be inserted and reply would definitely be sought.

श्री अध्यक्ष—That assurance has been given.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Thank you, Sir.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मोलेसेज़ कंट्रोल बिल, १९५६ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No 36

श्री अमृतलाल यादव—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अशासकीय कार्य

राजस्थान पशु, पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक, १९५६ (विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Private Members Legislation.

Further discussion on the following motion moved by Shri Gopilal Yadav that the Bill to provide for the prohibition of animal and bird sacrifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise be taken into consideration.

श्री कंवरलाल जेलिया—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके व्यवहारिक पहलू पर मैं उस रोज अपने विचार प्रकट कर रहा था। लेकिन उस रोज सदन उठ जाने के कारण मैं पूरी तरह से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सका। मैं उन विचारों को आज सदन के सामने रखने जा रहा हूं। जो बिल इस समय सदन में पेश हुआ है वह जिस दिन पेश हुआ था उस दिन भी मैंने यह ऐतराज उठाया था। जब हम स्वाधीन राज्य में रह रहे हैं और हम अपने राज्य को धर्म निर्पेक्ष राज्य मानते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि माननीय सदस्य इस तरह का बिल पेश कैसे करते हैं जो किसी की धार्मिक भावनाओं और धर्म पर किसी प्रकार का आघात पहुंचाने वाला है? यदि माननीय सदस्य का यह विश्वास है कि इसके जरिये आम जनता में और राजस्थान में जो पिछड़ा तबका कहा जा सकता है या वे जातियें जो सामाजिक दृष्टिकोण से गिरी हुई मानी जा सकती हैं उनमें अज्ञानता से यह भावना भर गई है उसको दूर करना चाहते हैं तो मेरा उनसे नम्र निवेदन यह है कि आप किसी की अज्ञानता को दूर करने के लिये या धार्मिक रूढ़ियों को मिटाने के लिये कानूनी डंडे को इस्तेमाल करके उनको दूर करने का प्रयत्न न करें तो अच्छा हो। यदि आप यह मानते हैं कि समाज में रूढ़ियां घर कर गई हैं और लोगों में अज्ञान और अन्ध विश्वास फैल गया है तो आप उसको दूर करने के लिए अपना समय खर्च करिये और उसके द्वारा सामाजिक अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करें। यदि आप कानूनी बल पर करना चाहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। व्यवहारिक पहलू से देखा जाय तो आम जनता जिसको ज्ञान नहीं है वह कैसे इसका पालन करेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जब कन्ट्रोल का जमाना था उस समय क्या होता था कि जो लोग शादियों के समय निर्धारित संख्या से ज्यादा आदमियों को भोजन करा देते थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, कि कितनों को बुलाना चाहिये और कितनों को नहीं, तो उन भोले भाले किसानों और दूसरे छोटे आदमियों को पुलिस वाले परेशान करते थे और वे ग्रामीण उनके शिकार होते थे और खूब रिश्वतखोरी चलती थी। इसी तरह से इस कानून के लागू होने के बाद यदि किसी देहाती के खाने के लिए बकरा काट दिया तो पुलिसवाले उसके यहां जायेंगे और कहेंगे कि तुमने अमुक माताजी के नाम से कुर्बानी की है, भले ही उसने

[श्री कंवरलाल जेलिया]

निजी काम के लिये बकरा मारा हो, उसको परेशान करेंगे। यदि आप किसी के खानगी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे तो यह अच्छा नहीं रहेगा। व्यवहारिक पहलू से देखेंगे तो भी लोग ख्वामख्वा इसमें फंस जायेंगे। माननीय सदस्य जिन्होंने यह बिल रखा है ऐसी विचारधारा के हैं जिसे प्रगतिशील विचारधारा कही जा सकती है। वे व्यवहारिक दृष्टि से स्वयं सोचेंगे तो उनको पता चलेगा कि पिछड़ी जाति के लोग इसके काफी शिकार होंगे। जिस पुलिस को अब सिविल सप्लाइज़ में काम नहीं मिलता है उसको कहां मिल जायगा। वे सोचेंगे चलो अब इनको ही फंसाओ और वे भोले भाले लोगों को फंसावेंगे। यदि माननीय सदस्य के दिमाग में धार्मिकता भर गई है तो मैं कहूंगा कि वे लोगों को प्रेरणा देने के लिये निश्चित दायरे में घूमे और लोगों को समझाने की कोशिश करें। इस बात के लिए यदि वे मेरा सहयोग चाहेंगे तो मैं उनको सक्रिय सहयोग देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यदि वे चाहते हैं कि यह काम कानून से हो तो यह ज्यादती होगी। यदि वे

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

चाहते हैं कि कानून के बल पर हम करना चाहते हैं इसमें डरने की आवश्यकता क्या है, तो मैं मानूंगा कि इसमें उतावलापन का जोर रहेगा और भोलेभाले आदमी फंस जायेंगे और समाज पर इसका असर बुरा होगा। मैं ऐसा मानता हूं। एक उदाहरण के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि मुसलिम धर्म मानने वालों के बारे में भी सवाल आयगा तो ईद के टाइम पर जो बकरे की कुर्बानी करते हैं वह भी इस कानून के लागू होने के बाद नहीं कर सकेंगे।

मैं पहले भी कह चुका था कि यदि आप एक धर्म पर आरोप लगाते हैं तो दूसरे धर्म वाले आपके मजहब के ऊपर भी कोई न कोई चीज आघात करने के लिये रखेंगे और इसी सदन में जैन मजहब पर पाबन्दी लगाने वाला बिल पेश किया गया। आप सांप्रदायिकता के कारण कोई चीज थोपना चाहते हैं तो दूसरे भी आपके समाज पर कोई चीज थोपेंगे और वर्ग संघर्ष होगा। हमारे इस धर्म निर्पेक्ष राज्य में एक दूसरे पर कीचड़ फैंके तो यह दुर्भाग्य की ही बात है। यदि समाज में फैले हुए अंध विश्वास को दूर करने के लिए या समाज सुधार के लिये बिल पेश करते तो पब्लिक उसको मानती और समाज में आपका बहुत आदर होता। पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान भी इस ओर दिलाया है। समाज में कई जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं और उनमें सामाजिक दृष्टि से काम करने की बहुत गुंजायश है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कानूनी बल पर रूढ़ियों को दूर करने के बजाय सामाजिक तौर पर दूर करने का प्रयत्न करें और इस दिशा में काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि सस्ती नेतागिरी चाहने के लिये बिल पास कराना चाहें तो उनसे मेरा तीव्र मतभेद है। यदि आप गुमराह करना चाहते हैं कि छोटी जातियों वालों में फैली हुई रूढ़ियों को कानून के जरिये दूर करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आप कुर्सियों पर बैठकर छोटी जाति वालों पर नेतृत्व करना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकेगा। यदि आप उनका नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप उनके

[श्री कंवरलाल जेलिया]

बच्चों को अपनी गोद में खिलावें, उनके लालन पालन की व्यवस्था करें, उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध करें तो आप सच्चे माने में पालन करेंगे।.....

एक माननीय सदस्य—ये बातें बिल से संबंध नहीं रखतीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय साथी घबराते क्यों हैं ? ये मेरे विचार हैं, मैं व्यक्त करूंगा, आप अधीर क्यों हो रहे हैं ?

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो मैं कह रहा था कि आप ऐसा कानून न बनायें कि जिसका व्यवहारिक दृष्टि से उस छोटे तबके पर बुरा असर होने वाला है। जिन साथियों को इस तरह के बिल का विरोध होने से घबराहट होती है क्योंकि इस बिल के विरोध से उनके स्वार्थों पर असर पड़ेगा, तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आपने धर्म निर्पेक्ष राज्य की घोषणा की है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस सदन में बैठ कर किसी की धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुँचायें। अगर आप बहुमत के आधार पर इस प्रकार के कानून को पास भी कर देंगे तो इस तरह के कानून को हाई कोर्ट में ले जाकर भारतीय संविधान ने जो मूलभूत अधिकार आम नागरिकों को दिये हैं उनके तहत इसे अवैध करार दिलाया जासकता है और वैसी सूरत में इस कानून को पास करने का कोई मतलब नहीं रहेगा।

इस लिये मैं अपने उन माननीय साथी से जिन्होंने इस तरह का बिल पेश किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको व्यवहारिक पहलू से देख कर इसे वापिस ले लें। पुलिस वाले उनको खाने पीने की चीजों पर इस तरह परेशान कर देंगे, इसको देखे और उन कठिनाइयों को देख कर स्वयं स्वतः ही इस बिल को वापिस ले लेंगे तो अच्छा होगा। मैं कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं तो अनुरोध करने की दृष्टि से खड़ा हुआ हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनको दूर करने के लिये अनुरोध करने खड़ा हुआ हूँ।

छोटी जातियों के लोग जिनके अन्दर खास तौर से जन जातियों के लोग हैं, भील हैं, जिनके अन्दर इस तरह खाने का रिवाज़ है। जो लोग इनसे नाराज होंगे, जिनको वे वोट नहीं देंगे, वे मौका देख कर उनकी पुलिस में शिकायत करेंगे कि उन लोगों ने माताजी के स्थान पर वध किया है, तो इस तरह उनके रोजमर्रा काम में आने वाली चीज है उसके उपयोग में उनको बाधा आयेगी और उनको हर तरह से तंग किया जायगा और उनको फंसाया जायगा।

मैं जैन धर्मवालों या ब्राह्मण धर्मवालों की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इन लोगों पर इस प्रकार का अंकुश न लगायें, आप अगर उनको

Page No 39

[श्री कंवरलाल जेलिया]

भाई मानते हैं और उनका सामाजिक सुधार करना चाहते हैं तो आइये आप और हम साथ मिल कर उनकी आर्थिक दशा, सामाजिक दशा सुधारने की कोशिश करें और इसके लिये जितना भी टाइम खर्च कर सकते हैं उतना टाइम, खर्च करें। कानून के बल पर अगर आप यह करना चाहेंगे तो इसका परिणाम अच्छे की बजाय बुरा होगा। एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ बिल लायेगा और वह दूसरा वर्ग फिर उस वर्ग के खिलाफ बिल लायेगा और इस तरह आपसी संघर्ष में हमारा विधान सभा का समय खर्च हो जायगा। आपसी संघर्ष की बहस में इस सदन का समय व्यर्थ बर्बाद हो जायगा।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां सदन में जनता के बिल पास करने का समय था उस समय में हम आज तक एक भी बिल पास नहीं कर सके। इसका कारण यह था कि ऐसे बिल पेश किये गये जो कि एक दूसरे वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले थे। अगर कोई ऐसा बिल होता जो आम जनता को हित पहुँचाने वाला होता, आम लोगों की सामाजिक दशा सुधारने वाला होता, आर्थिक दशा सुधारने वाला होता तो हम समझते कि हमने जनता की बड़ी सेवा की है। आज जो चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकने के लिये कोई बिल लाया जाता तो हम समझते कि हमने कुछ किया है। जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी सामाजिक दशा सुधारने के लिये, आर्थिक दशा सुधारने के लिये कोई बिल रखते, उनको काम धंधा देने के लिये, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये, उद्योग धंधे खोलने का सुझाव देते तो हम समझते कि आम लोगों के, गरीबों के हित का काम किया है। परन्तु ऐसा न करके इस तरह वर्ग विशेष की भावनाओं पर आघात पहुँचाने के लिये, ठेस पहुँचाने के लिये जो बिल लाये जाते हैं, यह हानिप्रद चीज है। इसलिये मैं उन माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरह के बिल को वापिस ले लें और इस तरह हमारे वर्गों में आपस में संघर्ष नहीं होने दें। जो बेचारे गरीब लोग पुलिस के शिकार होने वाले हैं, उनको बचाइये। अगर आप वास्तव में समाज को सुधारना चाहते हैं तो आइये आप और हम सब मिल कर प्रयास करें। तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमें इस तरह एक दूसरे के वर्ग, मजहब या सम्प्रदाय पर अंकुश लगाने का बिल पास करेंगे तो हमारे धर्म निरपेक्ष राज्य की भावना को ठेस पहुंचती है। यह कोई प्रगतिशीलता के विचार नहीं हैं और मैंने जो प्रगतिशीलता के विचार प्रकट किये हैं कि इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने के प्रयास किये जांय उन पर अमल करेंगे। बस मैं इतना ही अनुरोध करूंगा।

(श्री सन्तोषसिंह और श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री दोनों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—

श्री सन्तोषसिंह

आप पहले बोल चुके हैं ?

Page No 40

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—आज की तारीख में तो नहीं।

श्री सभापति—आप इस विषय पर एक बार बोल चुके हैं।

श्री भीमसिंह—श्री संतोषसिंह पहले बोल चुके हैं, जनरल डिस्कशन पर रावत श्री शम्भूसिंह, श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा, श्री रूपनारायण शास्त्री इस पर बोल चुके हैं और श्री कंवरलाल जेलिया इस पर कन्टिन्यू कर रहे थे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—चेयरमेन महोदय,....

श्री सभापति—ओर्डर ! ओर्डर !! निम्नलिखित सदस्य इस पर पहले बोल चुके हैं :

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, श्री श्रीदास गोयल, रावत श्री शम्भूसिंह, श्री मोटाराम, श्री संतोषसिंह कछवाहा, श्री श्यामलाल गोयल, श्री तनसिंह, श्री श्रीमानसिंह, श्री माधोप्रसाद बंका, श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा, श्री रूपनारायण शास्त्री।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इसको बहुत पहली स्टेज पर बोले हैं।

श्री भीमसिंह—मेरा यह निवेदन है कि जो लिस्ट बोलने वालों की आपने फरमाई वे माननीय सदस्य जब कॉन्सटीट्यूशनल पोइन्ट उठाया गया था और एडवोकेट जनरल की राय के बाद जो बोले हैं उनके नाम मैंने बताये, इसलिए इन दोनों लिस्टों को मिक्सअप न किया जाय।

श्री सभापति—दोनों अलग अलग हैं; बाद में बोले उनके नाम इस प्रकार हैं :

श्री शम्भुसिंह, श्री महादेव प्रसाद बंका, श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा, श्री रूपनारायण शास्त्री व श्री कंवरलाल जेलिया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—माननीय चेयरमेन, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत इस तरह का बिल विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता और न उस पर विचार किया जा सकता है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उन माननीय सदस्य ने भारतीय संविधान को अच्छी तरह पढ़ा होता तो ऐसी बात नहीं कहते। संविधान के अनुच्छेद २५ में लिखा है :

"Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

Page No 41

[श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री]

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—

(a) regulating or restricting any economic, financial political or other secular activity which may be associated with religious practice;

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus."

माननीय चेयरमेन, इसमें यह बताया गया है कि सोशियल वेलफेअर के लिए किसी कानून की जरूरत हो तो विधान सभा को अधिकार है वह कानून बनाए। इस बात के लिये पहले भी निवेदन किया गया था और मैं पुनः यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून ट्रावनकोर-कोचीन में सन् १९४८ मे पहले बनाया गया है। इसलिए इस प्रकार के कानून बनाने का असेम्बली को अधिकार नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि असेम्बली को इस प्रकार के कानून बनाने के अधिकार हैं और इस प्रकार के कानून पहले बन चुके हैं। देवताओं के नाम पर मन्दिरों में किसी प्रकार की बलि नहीं होनी चाहिये। भगवान के नाम पर मन्दिरों में भैंसें और बकरों को काटा जाता है और यह कहा जाता है कि भगवान इससे तृप्त होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे राष्ट्र को कितना नुकसान होता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में यह बात सुनकर कि भारत एक बहुत ऊंचा देश है, एक यूरोपियन महिला आई। उसको यह बताया गया कि मन्दिरों में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। उसका नाम मिसेज़ एनीबेसेन्ट (मिस मैरी) था। उसको एक मन्दिर में ले जाया गया। उसके सामने एक देव मन्दिर में भैंसे का बलिदान किया जा रहा था। वह भैंसा चिल्ला रहा था और उसकी गर्दन पर तलवारें कुछ समय के... पश्चात् लगातार चल रहीं थीं। एक हिन्दू युवती आई और जो खून फर्श पर गिरा था और सूख रहा था उसको चाटने लगी। यूरोपियन लेडी ने पूछा कि यह औरत इस खून को क्यों चाटती है? तब लोगों ने उसको युवती के खून चाटने का कारण बताया कि यदि वह इस रक्त को चाटेगी तो देवता प्रसन्न होंगे और इससे उसके बाल बच्चा पैदा हो जावेगा। इस तरह आप यह विचारें कि जिस देश में इतनी पिछड़ी हुई युवतियें हैं जो इस प्रकार से खून को चाटती हैं तो फिर यहां के लोग यह कैसे कहते हैं कि भारत देश संसार का गुरू है। यह देखकर उस योरोपियन महिला का मन बिगड़ उठा और उसने कहा कि जिस देश में इस प्रकार के लोग हैं, जहां देवी देवताओं के सामने भैंसें, बकरे जबरदस्ती काटे जा रहे हैं और वहां की जनता इतनी पिछड़ी हुई है कि जो खून फर्श पर सूखा हुआ था उसको भी चाट रही है तो वह देश कैसे अन्य देशों का गुरू बन सकता है। इसकी उसने Mother-India नाम की एक पुस्तक लिख कर काफी भर्त्सना की। माननीय चेयरमेन, मैं यह बताना चाहता हूं कि मन्दिर में बकरे काटे जा सकते हैं और भैंसे काटे जा सकते हैं, किन्तु एक हरिजन को नहीं आने दिया जाता है, यह अफसोस

[श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री]

की बात है । अगर इस प्रकार की कमियों को दूर कर दिया जावे तो वास्तव में हरिजनों का काफी सुधार होगा । इसके लिये दो चार व्यक्तियों को जरूर जेल में जाना तो पड़ेगा मगर बहुत सी दिक्कतें दूर हो जावेंगी । मन्दिरों में बकरे काटे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है मगर गरीब हरिजन दर्शन के लिये नहीं जा सकते । इसलिये इस प्रकार का सरकार को कानून बनाना चाहिये और मैं कहूंगा कि जरूर कानून बनना चाहिये । यदि इस प्रकार का कानून बनेगा तो हमारा सामाजिक उत्थान होगा और देश के लोगों के दिल में जो धर्मान्धता है वह दूर होगी और हमारा देश ऊंचे देशों में गिना जावेगा और दूसरे देशों के लोग देखेंगे कि वास्तव में भारतवर्ष ने उन्नति की है और हमारा सामाजिक ढांचा ऊपर उठेगा । अन्त में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के कानून से मुसलमानों के धर्म में ठेस पहुँचेगी, ऐसी बात नहीं है । वे लोग चाहें तो बकरे या ऊंट या भैंसे को काटें । टोंक में ऊंट काटे जाते हैं; हजारों बकरे काटे जाते हैं । मेरे पास कई मुसलमान भाई रहते हैं । लेकिन मस्जिद में कोई भी बकरा नहीं काटते । घरों में ही काटते हैं और घरों में बकरे काटे जा सकते हैं । इसलिये जो भाई यह कहते हैं कि मुसलमानों के धर्म को इससे ठेस लगेगी यह बिल्कुल गलत बात है । क्योंकि मुसलमान लोग कभी भी मस्जिद में बकरा नहीं काटते । घर पर काटते हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार कानून बने तो हमारा सामाजिक उत्थान होगा । बस इतने ही विचार व्यक्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—चेयरमेन महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है उसमें मैंने एक संशोधन पेश किया था कि इसके साथ यह और बढ़ा दिया जावे कि बलि जो हो दूसरे धर्म वाले करते हैं उसके साथ भी पाबन्दी होनी चाहिये, जैसे बकरा ईद आदि पर होता है । इस पर भी रोक लगानी चाहिये । ऐसा मेरा संशोधन था । मगर न मालूम वह एजेन्डा में क्यों नहीं आया है ? मुझे मालूम नहीं । मुझे यह कहना है कि यह बिल जो पेश हुआ है बहुत ही उपयोगी और जनता के हित में है । कारण की हम पिछले दिनों देखते आये हैं कि यह बलि आम रास्तों पर या सड़क के किनारे पर जहां मन्दिर होता है वहां पर की जाती है, जहां पर कोई बाड़ा वगैरा नहीं होता है ।

(घंटी)

ऐसी जगह पर भी लोग बकरों की बलि देते हैं और जो लोग उधर से निकलते हैं और इसको अच्छा नहीं समझते उनको बहुत नुकसान होता है और इसके लिए बहुत ही विचार करते थे | ऐसी हालत में यह बिल पास होकर इस बात को रोक दी जावे तो बहुत अच्छी बात है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल को पास करके धर्म पर आक्षेप करना ठीक नहीं है । माननीय चेयरमेन, मैं यह कह सकता हूं कि कुछ जमाने के पहले यानि २० वर्ष पहले यह बात थी कि पब्लिक की राय से, उसको समझा बुझा कर कोई बात की जाती थी । महाऋषि दयानन्द ने आज से ८०-८५ वर्ष पहले पहले ही छुआ छूत की बीमारी को भंग किया था और

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

लोगों को समझा बुझा कर काम किया था जो काम आज कांग्रेस कानून के जरिये कर रही है, वह छूआ छूत करने वालों को सजा दे सकती है। ऐसी बुरी प्रथा को आप कानून के जरिये हटा सकते हैं तो यह भी बलि की एक बहुत बुरी प्रथा है और लोगों में अन्ध विश्वास है उसको भी आसानी से दूर किया जा सकता है।

अब कई माननीय सदस्यों ने कहा कि धर्म पर कानून द्वारा दबाव नहीं डाला जावे। दबाव के कारण इस सदन में कई बातें पूरी हो चुकी हैं इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून और बिल पास हो जाना चाहिये। बस इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री तेजमल बापना—माननीय चेयरमेन महोदय, श्री गोपीलाल जी यादव की तरफ से प्रस्तुत बर्डस एन्ड एनीमल सेक्रीफाइज़ एबोलिशन बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा आम खयाल हो गया है कि दरअसल इस बिल की भावना का मतलब है कि मांसाहारी जितनी भी जातियों के लोग हैं उनके ऊपर एक तरह से आक्षेप है। लेकिन मैं इस भावना को दूर करने के लिए यह निवेदन करदेना चाहता हूँ कि दरअसल बिल का ऐसा कोई मक्सद नहीं है। बिल का साफ मक्सद यह है कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर एक पुरानी रूढ़ी जो चली आ रही है, देवी देवताओं के आगे बलि चढ़ाने की, भगवान के नाम पर सार्वजनिक स्थान पर, जहां सर्व साधारण उपस्थित होते हैं, अलग अलग विचारों के और भावनाओं के लोग उपस्थित होते हैं, उन स्थानों पर भगवान के नाम पर बलि दी जाती है, उसको रोकने का केवल इस बिल का मतलब है। मैं यह निवेदन करूं चेयरमेन महोदय, जहां यह दलील दी जाती है कि यह बिल मांसाहारियों पर एक प्रकार का आक्षेप है यह कतई गलत है। यह कोई नया कानून राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत हुआ हो यह बात भी नहीं है। ऐसा ही कानून हमारी पड़ोसी रियासत मध्य भारत में चल रहा है जो गत साल ड्रॉप हो गया था, दुबारा आजकल चल रहा है। जो कन्हैयालाल खादीवाला के मूव पर सिलेक्ट कमेटी के विचाराधीन है। दक्षिण प्रान्त में जहां पर अधिकतर जनसंख्या मांसाहारियों की है उन इलाकों में, जैसे ट्रावनकोर-कोचीन, मैसूर व मद्रास इन प्रान्तों में धार्मिक स्थानों पर बलि देना निषिद्ध है और इस तरह के कानून वहां पास हो चुके हैं। हमारे यहां पर भी जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमको जन-साधारण में जागृति लानी चाहिये, शिक्षा की भावना फैलानी चाहिये मैं उनके मत से बहुत इत्तफाक करता हूं कि उसके साथ साथ में उनके इस मत से विरोध भी रखता हूं कि यह बिल संविधान के प्रतिकूल है। जहां जहां उन्होंने संविधान की धारा २५ का उल्लेख किया है वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कतई इस बात का उल्लेख नहीं, यानि संविधान में इस बात की कोई रोक नहीं है। जो संविधान की धारा २५ बतायी है उसमें स्पष्ट इस बात का प्रतिपादन है कि दर असल ऐसी कोई रूढ़ी हो जो बहुत समय से प्रचलित हो उसको कानून द्वारा बन्द किया जा सकता है। हमारे यहां भारतवर्ष में पहले सती प्रथा चालू थी और बाद में यह उचित समझा गया कि इस प्रथा को

[श्री तेजमल बापना]

बन्द किया जाना चाहिये तो इस अन्ध विश्वास को दूर करने के लिये कानून द्वारा इस प्रथा को बन्द किया गया। मैं इस बात के लिये सहमत हूं कि लोगों में जागृती पैदा करनी चाहिये, लोगों में शिक्षा की वृद्धि होनी चाहिये लेकिन जो सामाजिक कुरीतियां अपने आप चली आ रही हैं उनको बन्द करवाने के लिये भावना पैदा करनी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसी बातों के लिये कानून भी होना आवश्यक है। आज जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत है उसको एक साधारण व्यक्ति तो जल्दी समझ जाता है कि यह बिल रूढ़िवाद को रोकने वाला है, किन्तु हमें अफसोस तो तब होता है कि जब कोई पढ़े लिखे और आधुनिक शिक्षा प्राप्ति भी जो इस रूढ़ी के शिकार बने हुए हैं और वे अपने पर इसको व्यक्तिगत आक्षेप समझते हैं। मैं उनसे नर्म शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनियां में ऐसा कोई धर्म नहीं है चाहे आप हिन्दू धर्म ले लीजिये, इस्लाम मजहब ले लीजिये, ईसाई मत को ले लीजिये किसी में भी बलि करने का विधान नहीं है। हमारे यहां के जितने भी शास्त्र आप देखेंगे, जितने भी हमारे महात्माओं के विचार देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसी ने धार्मिक स्थान पर बलि देने का समर्थन नहीं किया है, यह तो केवल रूढ़िवाद को खत्म करना हो इस बिल का मकसद है इसलिये इस बिल को पास करने में संविधान की अड़चन नहीं है। यह तो भारतीय संस्कृति की शान और बान के लिये आवश्यक है। कई विधान सभाओं में ऐसा कानून हो चुका है यहां भी पास होना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—चेयरमेन महोदय, मैं इस बिल के पक्ष या विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैंने पहले भी कुछ भाषण इस सिलसिले में सुने थे और दो तीन भाषण आज भी इस बारे में सुने हैं। दो तीन बातें जो इस बिल के संबन्ध में कही गई हैं उसमें एक तो यह कही गई कि इस बिल का जो लक्ष्य है वह कोई जाति विरोधी नहीं, किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं।

दूसरी बात यह कही गई कि यह संविधान के पक्ष में है विपक्ष में नहीं, इस प्रकार से दो बातें कही गईं। मैं तीसरी बात उपस्थित करना चाहता हूं वह यह कि दूसरी विधान सभाओं में भी इस प्रकार के विधेयक उपस्थित हुए हैं उनके परिणाम क्या हुये हैं? जहां शिक्षित समाज है जिस समाज के अन्दर भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर अच्छी तरह से विचार विनिमय हो चुका है वहां एक तरह की बात होनी चाहिये। जहां का समाज अशिक्षित है, जिस समाज के अन्दर किसी भी बात को किसी भी तरह से लिया जा सकता है वहां दूसरी तरह से कार्यवाही होनी चाहिये। जहां हम इस कानून के मेरिट्स पर विचार करें वहां इस विधेयक के क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर विचार करना चाहिये। विधेयक में हम खास तौर से इस बात की कोशीश करते हैं कि हम ऐसे बलिदानों को बन्द करदें, इस कानून द्वारा हम यह चाहते हैं कि जो बलिदान किसी मन्दिर या सार्वजनिक स्थान पर होते हैं उनको बन्द किया जाना चाहिये। वैसे पशुओं का मारना तो बन्द होता नहीं। मैं इस संबन्ध में एक छोटी सी मिसाल उपस्थित करना चाहता हूं, आज बलिदान मन्दिरों और सार्वजनिक स्थानों

[श्री जयनारायण व्यास]

पर नहीं होता, आज बलिदान का क्षेत्र हमारे प्रांत में मन्दिरों के बदले खेजड़े तक बन गया है। खेजड़ों में कई जगह आप देखेंगे कि बलिदान जिस पशु का होता है उसके मांस के टुकड़े को खेजड़े पर पड़ा हुआ देखते हैं। हम को दुख के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि जिस क्षेत्र में, जिस देश में हम रहते हैं उसमें भी हमारा राजस्थान क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में। यहां नये नये विचार बहुत कम आते हैं इस वजह से कोई भी नई चीज यहां पैदा होती है उसके परिणाम दूसरे हो सकते हैं। मैं इस बिल के अलावा एक दूसरा बिल जो नग्न साधुओं के सम्बन्ध में है उस पर भी यही निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि दोनों विधेयकों पर एक साथ बोलने का अधिकार नहीं है लेकिन मैं इस बिल के साथ उसे इसलिये जोडना चाहता हूँ कि दोनों विधेयकों का दो वर्गों से संबन्ध है। इन दोनों विधेयकों से दोनों वर्गों के आपस में टक्कर होने के सिवाय फिल हाल मुझे कोई फायदा नहीं दिखता। इसके मायने यह नहीं कि विधेयक में जो बातें कही गई उनका मैं समर्थन नहीं करता, मैं तो उन बातों का घोर समर्थन करता हूं। लेकिन विधेयक द्वारा किसी बात को मनवाना मैं अच्छा साधन नहीं मानता। आज चोरी को बन्द करने के लिये कानून है, लेकिन चोरी बन्द नहीं होती, डाकेजनी करना काननी अपराध है फिर भी डाकेज़नी होती है,ये चीजें तभी बन्द हो सकती हैं जबकि हम जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारें तथा लोगों के दिमाग पर असर डालें तो कोई चीज स्थाई हो सकती है और उसके परिणाम भी अच्छे हो सकते हैं। आज हमने वेजीटेबल घी को लाने की छूट कर दी लेकिन जैसलमेर के इलाके में आप पाव भर भी वेजिटेबल घी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां की जनता के इन्कम का सोर्स ही शुद्ध घी है। अगर आप वेजीटेबल घी को अच्छा समझते हैं और उसको वहां भी ले जाना चाहते हैं तो उसके लिये आपको प्रचार करना पड़ेगा, इसलिये मेरा यह मानना है कि प्रचार पहला और विधेयक दूसरा कदम है। हमें चाहिये यह कि हम दोनों विधेयकों के लिये स्टेज तैयार करें। धीरे धीरे इस ओर अग्रसर हों इसलिये मैं माननीय श्री गोपीलाल जी से और माननीय श्री भीमसिंह जी से दोनों से यह अनुरोध करूंगा कि वे दोनों कुछ ऐसी प्रचार संस्थायें बनायें। पशु बलि को रोकने के लिये अहिंसा प्रचार संस्था बनायें जिसके अध्यक्ष गोपीलाल जी हों मैं भी उसमें एक सदस्य हो सकता हूँ और हम इस बात का प्रचार करें कि जो बलिदान हर वर्ष होते हैं और जिन लोगों द्वारा होते हैं उनके बीच में जाकर हम इस बात का प्रचार करें, उनके अन्दर इस बात का असर पैदा करें ताकि वे अपने आप इस प्रकार की रूढ़ी को छोड़ने के लिये तैयार हो जाय। मैं समझता हूँ इससे जो परिणाम होंगे वह विधेयक से भी ज्यादा असर करने वाले होंगे। उसके बाद यदि ऐसा विधेयक लाया जाता है तो उसको पास करने में सुविधा होगी।

इसी तरह से नग्न साधुओं में बहुत से ऐसे हैं जो नग्न रहते हैं, जिन को विश्वास है और वे उस स्टेज तक पहुँच जाते हैं, यह भी विश्वास है। फिर भी समाज के लिये उपयुक्त समझते हैं तो समाज के अन्दर जाकर बात करें कि अब ये बातें ठीक नहीं हैं। तो इस विधेयक और उस विधेयक दोनों के परिणामों को भी हमें देखना पडेगा। परिणाम अच्छे नहीं दिखाई देते। फालतू की चख चख होती

[श्री जयनारायण व्यास]

है। हम यहां जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं। पर यहां जनता के प्रतिनिधि होते हुये भी जनता के अज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करने आये हैं। ज्ञान के भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां वे लोग इकट्ठे हुए हैं जो कुछ ऊंचे तबके के आदमी हैं। उनको नहीं यहां इकट्ठा किया है जो एक तरह से बहुत ही उजड्ड तरीके से बातें करते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं। पर उनसे ऊंचे तबके के आदमी यहां हैं। हम में से भी कुछ को गुस्सा आ जाता है पर हमारा गुस्सा और तेज उस सीमा तक नहीं पहुँचता है जिस सीमा में वे लोग रहते हैं जो अशिक्षित हैं और छोटे तबके के हैं।

तो मैं यह स्टेज जो है उसे ठीक नहीं समझता ऐसे विधेयकों को लाने के लिये और साथ ही साथ विधेयकों के बहुत अच्छे होते हुए भी और उनकी भावना के ठीक होते हुए भी उनके परिणामों को ठीक नहीं समझता। इसलिये मैं माननीय गोपीलालजी से भी और माननीय भीमसिंहजी से भी दोनों से यह अपील करूंगा कि वे इन विधेयकों को विद्ड्रॉ कर लें और अगर विधेयकों को विद्ड्रॉ करने में अभी तक पूरी तरह से विचार नहीं किया है इस बिना पर आपत्ति हो तो इन्हें पोस्टपोन कर दें और फिर दोनों मिलकर एक जगह बैठें और हम लोग भी साथ में एक कमेटी के रूप में बैठें और कमेटी के रूप में बैठकर इन विधेयकों की स्टेज कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, किस तरह से हमको काम करना चाहिये, इन बातों पर विचार करें और इस विचार विनिमय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो थोडी बहुत बुद्धि मेरे पास है वह भी, मैं उनको सारी बुद्धि तो अर्पित नहीं करूंगा, नहीं तो मैं बेवकूफ हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा इसलिये यह तो ठीक नहीं है, उनको अर्पित कर सकता हूँ और अपना सहयोग दे सकता हूँ। ये विधेयक अच्छे हैं या बुरे हैं इसमें मैं इस समय जाना नहीं चाहता, न जाना चाहूँगा। बल्कि यह अवश्य कहूँगा कि इन विधेयकों के लिये स्थिति ठीक नहीं है और इन विधेयकों की बात जबर्दस्ती हम करें तो वर्ग २ के झगड़े, जिनसे हम पहले से ही तंग हैं, उन झगडों का प्रादुर्भाव होगा जिनको टालने की कोशिश हमें करनी चाहिये। कुछ इससे खुश हो सकते हैं कि दोनों वर्ग टकराते रहें, यह भी ठीक है। पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि टक्करें जब शुरू हो जाती हैं तो फिर वह विभागों में बंट जाती हैं और धीरे धीरे बड़े बड़े तबकों में आपस में ये झगड़े और टक्करें फैल जाती हैं। ऐसी हालत में इस वातावरण को किसी तरह से हम टाल सकें और एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकें जिसमें इनसे अच्छे और अच्छे से अच्छे विधेयक ला सके तो ठीक रहेगा। यही बात नहीं: कुछ बातें ऐसी भी हैं कि लोगों को नाराज करके भी, वर्ग को नाराज करके भी विधेयक हमें यहां लाना पडता है जो समाज के लिये उपयोगी हो। पर यह तो बहुत आगे गया हुआ है और गांवों में चला गया है। लोगों को इसे समझाने में कई वर्ष लग जावेंगे तो वे वर्ष लोगों को समझाने में लगावें उसके स्थान पर कुछ वर्ष नहीं कुछ महीने ही लगा दें इसके प्रचार में कि इस तरह के बलिदानों का मन्दिर में होना या मस्जिदों में होना, या किसी और जगह होना यह उचित नहीं है तो जिस लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ा सकेंगे। मुझे तो यही कहना है और फिर एक बार दोनों प्रस्तावक महोदयों को अर्ज करनी है कि या तो वे इन्हें विद्ड्रॉ करलें या पोस्टपोन करके इस पर मिलकर विचार करें और इस तरह से एक अच्छी स्टेज पैदा हो इसके लिये साधन मुहय्या करें।

Page No 47

श्री भीमसिंह—On a point of personal explantion, Sir. जो व्यासजी ने अपील की है उसके अनुसार अगर गोपीलालजी को यह मन्जूर है तो मुझे भी इसे वापिस लेने में या पोस्टपोन करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इसके लिये एक अच्छा वातावरण राजस्थान में पैदा हो।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, हमारे पूज्य नेता व्यासजी ने जो शब्द कहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनसे सहमत न हो। मैं यह मुनासिब समझता हूँ उनकी अपील पर कि इस बिल का कन्सीडरेशन इस वक्त पोस्टपोन कर दिया जावे और जैसी उनकी राय है वैसी कमेटी बना कर उसमें विचार कर लेंगे।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—The Hon'ble Member has got the discretion to move for postponement.

श्री श्री भानसिंह—On a point of information, Sir, when once he has moved already for the consideration of the Bill he can only withdraw it now and he cannot move for postponement.

श्री सभापति—The Member has got discretion to withdraw or postpone it at any stage. He can move for postponement.

श्री श्रीभानसिंह—Under what clause ?

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—हां साहब।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अध्यक्ष महोदय, गोपीलालजी यादव यह चाहते हैं कि बहस इस विधेयक पर पोस्टपोन कर दी जावे।

श्री अध्यक्ष—So the stage anticipated has arrived.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह तो बहुत ही उत्तम है।

श्री अध्यक्ष—Now I will appeal that the Bill should be withdrawn rather than postponed, because we have postponed it more than once and we should now come to a final decision about it, because every time when the stage for the consideation of these Bills come there is a public expenditure to the tune of Rs. 6,000 a day. Any day it will again crop up.

रावत श्री शंभुसिंह—इतना रुपया खर्च हो गया तो फिर यह पोस्टपोन नहीं होना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—Sir, this time the postponement is not for bringing the bill back; but it is to bring about such a stage which may be very congenial for both the views. So the postponement is purposeful and if the Hon'ble Member withdraws it or postpones it, I think there is no harm. Rs. 6,000 I have saved at least today and tomorrow that will be spent.

श्री अध्यक्ष—So we can take this postponement as withdrawal ?

(विराम)

श्री रामरतन टिक्कीवाल—इस विषय में अध्यक्ष महोदय, मैं एक-आध मिनिट कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं । क्या इस बारे में भी यही नीति रहेगी कि जिस तरह से राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के समय यहां वोटों की बिक्री हुई उसी तरह से क्या बिलों की बिक्री भी हो सकती है ? इतनी ही प्रार्थना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई पैसा नहीं लिया ।

श्री श्रीदास गोयल—यह समझने का फेर है ।

श्री भीमसिंह—जो आपने (श्री जयनारायण व्यास) फरमाया वह मुझे मन्जूर है । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती । बिलों की जब एप्रोप्रीएट स्टेज आवेगी...

श्री अध्यक्ष—बात क्यों नहीं कर लेते आप दोनों आपस में बैठकर ?

I will adjourn the House for five minutes.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बिल का कोई सम्बन्ध इनके बिल से नहीं है और मुझे बड़ा दुख है कि...

श्री अध्यक्ष—We accept that they are not connected.

श्री गोपीलाल यादव—दूसरी चीज यह है कि न मैं कभी इस बात को लेकर इसे विड्ड्रॉ करने को तैयार हूं कि वे कुछ एक बिल ऐसा यहां ले आये हैं कि जिससे कुछ लोग नाखुश हैं । इससे भी मेरे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि मुझे बड़ा दुख है कि यह वातावरण खराब करने का कारण उनका बिल है, जो कि मेरे बिल के पास होने के बाद अगर यहां लाया जाता तो वास्तव में यह समझा जाता कि वह सुधारक के दृष्टिकोण से लाया जा रहा है । पर साथ साथ लाने के बाद जो स्थिति आज बताई जा रही है उससे यह मालूम होता है कि वास्तव में सुधारक की दृष्टि से यह प्रस्ताव नहीं लाया गया, बल्कि इसलिये लाया गया है कि मैं इससे डर जाऊं और इसको विड्ड्रॉ कर लूं । पर मैं डरता नहीं । (हंसी) यह मुझे डराने के लिये है और मैं डरता नहीं । इसलिये इससे कोई मतलब हल नहीं होता ।

Page No 49

[श्री गोपीलाल यादव]

तो निवेदन यह करता हूं मैं कि माननीय व्यासजी हमारे नेता हैं। उन्होंने हमें एक सलाह दी है और मुझे उनकी सलाह शिरोधार्य है कि मैं इसे पोस्टपोन कराकर बाद में मिलकर इस पर विचार कर लूं कि इसको पास कराया जावे तो किन संशोधनों के साथ कराया जावे, किस स्टेज पर कराया जावे। यदि अच्छा है तो यह पास होना चाहिये। इसलिये यह ठीक ढंग से सबकी सलाह से हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि इसे पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—तो मेरा इसके ऊपर यह ऑब्जरवेशन है, यद्यपि मैं कोई रूलिंग क्लियर कट नहीं देना चाहता।

इस असेम्बली के लाइफ टाइम में यह बिल प्राइवेट मेम्बर्स दिन के ऊपर कन्सीडरेशन के लिए नहीं आ सकेगा।

श्री जयनारायण व्यास—कोई हर्ज नहीं, बाद में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष—And I will appeal to both the parties with Vyasji as their mediator that they should make sincere efforts for the withdrawal of both these bills.

(करतलध्वनि)

तो क्या सदन को श्री गोपीलाल यादव का यह प्रस्ताव स्वीकार है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाना स्थगित किया जाय।

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से विचारार्थ प्रस्ताव स्थगित किया जाता है।

राजस्थान नग्न उपस्थिति एवं प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १९५६
(वापिस लेना)

श्री जयनारायण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं एक दूसरी अपील करना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा माननीय भीमसिंहजी का जो विधेयक था उसके बारे में श्री गोपीलालजी को भ्रम था तो मैं भीमसिंहजी से अपील करूंगा कि वे पहल करके पोस्टपोनमेंट के लिए नहीं बल्कि विद्ड्रॉअल के लिए दरख्वास्त दें। मैं समझता हूं कि सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि आज जैसी व्यासजी महाराज ने अपील की है और गये टाइम में भी श्री श्रीदासजी गोयल द्वारा ऑब्जरवेशन किये गये थे और वह इस रूप में लेकर किये गये थे कि इस बिल के अन्दर जो धार्मिक दृष्टि से नहीं हो उनके बारे में बिल रखने की खास मन्शा थी और जो आमोद-प्रमोद के बारे में मारवाड़ में इलोजी हैं उनके बारे में था। मेरी मन्शा जैन धर्म पर आघात करने की कतई नहीं थी। बिल रखा था तब गोयलजी ने कहा था कि जैन धर्म पर आघात था। मेरी शुरू से ही जैन भाइयों पर जो कि हिन्दू धर्म के एक अंग हैं उनकी तरफ इस तरह का कोई आघात हो ऐसी प्रेरणा से यह बिल नहीं रखा था, लेकिन उसके शब्दों से उस प्रेरणा की पूर्ति न होकर अर्थ का अनर्थ होता है ऐसी सूरत में वाकई में जो खराब प्रवृत्तियां चल रही हैं उनको दुरस्त करने के लिए अच्छे शब्दों में जैन भाइयों का सहयोग लेकर, ताकि उनको किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो, अच्छे ढंग से बिल को ड्राफ्ट करके मेरा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के अनुरूप दूसरा बिल तैयार करके दुबारा पेश करूंगा। इसलिए मौजूदा बिल को वापिस लेने की सदन की अनुमति चाहूँगा।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—श्री गोपीलाल यादव का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्या सदन की अनुमति है कि श्री भीमसिंह को इस विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत)

सर्वसम्मति से आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसिंह—मैं अपने इस बिल को वापिस लेता हूँ।

(करतलध्वनि)

श्री अध्यक्ष—I would sit for 5 minutes more for better results.

श्री गोपीलाल यादव—कल का बिज़नेस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—If the House wants, I have no objection.

("नहीं, नहीं" की आवाजें)

कल का काफी बिज़नेस है, वह लेलें, रिज़ोल्युशन्स वगैरह।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—तैयार होकर नहीं आये हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष—जैसे रोजाना तो आप तैयार होकर ही आते हैं।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, ५ मिनिट के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाय ताकि उनको समझा दें।

श्री अध्यक्ष—No proceedings will be recorded and the Members can canvass.

(इसके पश्चात् सदन की कार्यवाही ५ मिनिट तक के लिए स्थगित रही)

श्री अध्यक्ष—ओर्डर प्लीज़।

मैं माननीय सदस्यों को सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि श्री गोपीलालजी यादव उक्त विधेयक को वापिस लेने के लिए विचार कर रहे हैं तब तक के लिए यानि कल प्रात: ८ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १०-२ बजे मध्यान्ह पूर्व दिनांक १७-५-५६ के प्रात: ८ बजे तक के लिए, स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १६ मई, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदनकी मेज पर रखे गए तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है।)

प्रश्न

१६८. (१०५/पी. डब्ल्यू. एम.) श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५४:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गीजगढ़ से सिकन्दरा के तिवारे तक की सड़क स्वीकृत होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं बनी है ?

(ख) अब इसका काम कब तक जारी हो जायेगा ?

उत्तर

क. कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

ख. जी हां।

ग.
घ. } इसका उत्तर क. में दिया जा चुका है।

ङ. थोड़ा कार्य बाकी है वह इस वर्ष समाप्त हो जायेगा।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ९९० का उत्तर देखिये)

नाम पंचायत	दिनांक चुनाव	नाम चुनाव अधिकारी, विभाग व क्षेत्र
अमर सागर	६-४-१९५५	श्री ताराचन्द, मास्टर हाई स्कूल, जैसलमेर
रूपली	६-४-५५	....
मादासर	१४-४-५५	....
पारेवर	५-२-५५	....
देवा	४-४-५५	श्री रामनारायण, तहसीलदार ....
नेडाई	६-४-५५	....
श्री मोहनगढ़	६-४-५५	....
बालना	११-४-५५	....
कानोध	१३-४-५५	....
हमीरा	१५-४-५५	... ...
डामला	४-४-५५	श्री के. स्वरूपजी, सुपरिन्टेन्डेन्ट शीप एन्ड वूल, जैसलमेर
भू	६-४-५५	....
काठोडी	९-४-५५.	... ...
पिथला	१४-४-५५	....
टोड़ाकोर	११-४-५५	... .
चांधन	४-४-५५	श्री रामप्रतापसिंह, सब डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल्स, जैसलमेर
कड़ीला गांव	७-४-५५	... ...
माहली	४-४-५५	श्री मोहब्बतसिंह जी, तहसीलदार, फतहगढ़
झिझनीयाली	६-४-५५	... .
वैया	९-४-५६	....
नसरा	११-४-५६	... .
छनागर	१४-४-५५	....
कोटड़ी	१६-४-५५	... .

Page No 54

१	२	३
सांकड़	१३-४-५५	श्री रामप्रतापसिंह, सब डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल्स, जैसलमेर
घेलक	१६-४-५५	... ...
रामा	१६-४-५५	... ...
डागरी	१३-४-५५	श्री दीनदयालजी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, जैसलमेर
कपुरिया	१६-४-५५	... ...
रासला	१६ ४-५५	... ...
मूलाना	२१-४-५५	... ...
देवीकोट	२३-४-५५	....
लुसार	४-४-५५	... ...
वोदा	७-४-५५	श्री दीनदयाल, रेवेन्यू, इन्सपेक्टर, जैसलमेर
मयाजदार	४-३-५५	श्री सुजानसिंह, रेवेन्यू, इन्सपेक्टर
गधो (अस्पष्ट)	७-३-५५	... ...
खुदड़ी	९-४-५५	श्री श्यामलालजी, तहसीलदार, सम
सम	१२-४-५५	... ...
डेंढ़ा	१४-४-५५	... .
कनोई	१६-४-५५	....
शाहगढ़	१६-४-५५	श्री नाथजी
रामगढ़	४-४-५५	श्री मोहनलाल, सदर कानूगो, जैसलमेर .
झावर	६-४-५५	... ...
खुइयाला	९-४-५५	... ...
सोनू	१२-४-५५	... .
किशनगढ़	१४-४-५५	श्री अनरूपसिंह, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, रामगढ़
तनोट	१६-४-५५	... .
सेजवाल	१८-४-५५	... .
नोख	२२-५-५५	श्री नाहरसिंह, तहसीलदार, नाचना
मदासर	२४-५-५५	... ...
मरिवाला	२६-५-५५	... ...

Page No 55

१	२	३		
चिनू	२२-५-५५	श्री बागसिंह, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, नाचना		
अवाय	२४-५-५५	...	....	....
नाचना	२६-५-५५	....	...	...
सतयामा	१८-६-५५	श्री कन्हैयालाल, सोशियल नेशनल एक्सटेन्सन बी. डी, साकड़ा		
आसकन्दरा	२०-६-५५	...	...	...
अजासर	२२-६-५५	...	...	...
घटियाली	३०-३-५६	श्री बागसिंह, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, नाचना		
फलसूंड	२०-६-५५	श्री भीमदतजी, एक्साइज़ इन्सपेक्टर, पोकरण		
भीखोनाईजूती	१७-६-५५	...	...	...
राजमथाई	१५-६-५५	...	...	...
लवा	२२-६-५५	श्री दुर्गासिंह, सुपरवाइजर शीप एन्ड वूल विभाग, पोकरण		
लाठी	१५-६-५५	...	...	...
खेतोलाई	१७-६-५५	...	...	...
लोहारकी	१६-६-५५	...	...	...
बडली	३०-६-५५	श्री खेमराज, हेड मास्टर, मिडिल स्कूल, पोकरण		
रातडिया	१७-६-५५	....	...	....
बारठ का गांव	३०-६-५५	...	...	...
मांडवा	२२-६-५५	...	...	...
उजला	२४-६-५५	...	....	...
रामदेवारा	१७-६-५५	श्री जी. के. छागांनी, हैल्थ इन्सपेक्टर, जैसलमेर		
छायण	२०-६-५५	...	....	...
खारा	१५-६-५५	...	...	...
घाट	६-७-५५	श्री भीमदत्त, एक्साइज़ इन्सपेक्टर, पोकरण		
चौक	४-७-५५	...	...	...

१	२	३
भदासर	३०-१-५६	श्री खेमराजजी, हैड मास्टर मिडल स्कूल, जैसलमेर
मेसंढ़ा	१-२-५६	... .
राजगढ़	१५-१२-५५	श्री लालचन्द रेवेन्यू इन्सपेक्टर तहसील पोकरण
लूणाकला	२२-३-५६	श्री लालचन्द रेवेन्यू इन्सपेक्टर, पोकरण
छायन	इस पंचायत की पत्रावलि कलेक्ट्री कार्यालय में चली जाने के कारण सूचनाएं अंकित किए जाने में असमर्थता है।	